न्यायालय सत्र न्यायाधीश, फर्रूखाबाद

पीठासीनः **नीरज कुमार** ....एच०जे०एस० **ID No.U.P1907**)
CNR No. UPFR010047272016

सत्र परीक्षण सं०- 01/2017

राज्य
बनाम
मनमोहन दास बाबा पुत्र अवधेश कुमार दास निवासी ग्राम ककियुली थाना नबावगंज, जनपद फर्रूखाबाद।

मुकदमा अपराध संख्या– 390/2016
धारा–302, 307 भा०दं०सं०
थाना– मऊदरवाजा, जिला फर्रूखाबाद

एवं

सत्र परीक्षण संख्या 02/2017

CNR No.UPFR010047282016

राज्य
बनाम
मनमोहन दास पुत्र अवधेश कुमार दास निवासी ग्राम ककियुली थाना नबावगंज, जनपद फर्रूखाबाद।

मुकदमा अपराध संख्या– 391/2016
धारा– 3/25/27 आयुध अधिनियम।
थाना– मऊदरवाजा, जिला फर्रूखाबाद

निर्णय

1– प्रस्तुत सत्र परीक्षण, थाना मऊदरवाजा जिला फर्रूखाबाद की पुलिस/विवेचक द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 390/2016 अन्तर्गत धारा 302, 307 भा०दं०सं० में अभियुक्त मनमोहन दास बाबा के विरूद्ध आरोपपत्र प्रदर्श क–23 विचारण न्यायालय में प्रस्तुत करने पर दिनांक 22.12.2016 को विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा प्रंसज्ञान लिया गया तथा सम्बन्धित मुकदमा अपराध संख्या 391/2016 अन्तर्गत धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट में अभियुक्त मनमोहन दास बाबा के विरुद्ध आरोप पत्र प्रदर्श क–20 विचारण न्यायालय में प्रस्तुत करने पर दिनांक 02.12.2016 को विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया। दिनांक 23.12.2016 को अप०सं० 390/2016 व अपराध संख्या 391/2016 को सत्र सुपुर्द करने पर विचारण चलाया गया। चूंकि दोनों ही मामले एक ही घटनाक्रम से संबंधित बताये गये हैं अतः सुविधा की दृष्टि से इनका एक साथ निस्तारण इस निर्णय के माध्यम से किया जा रहा है।

Digitally signed by NEERAJ KUMAR
Date: 2026.08.13 16:32:26 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

2– अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी मुकदमा बॉबी वर्मा ने एक लिखित प्रार्थनापत्र थानाध्यक्ष थाना मऊदरवाजा, फर्रुखाबाद को इस आशय का प्रस्तुत किया कि"मेरे भाई विशाल वर्मा निवासी बजरिया हरलाल थाना मऊदरवाजा फर्रुखाबाद जसमई दरवाजे पर श्री रामजानकी मन्दिर में बनी दुकान में क्लीनिक चलाते हैं पास की दुकान में अमित राठौर स्व० श्यामबाबू निवासी सर्वोदय नगर बजरिया मोटरसाइकिल मैकेनिक की दुकान पर काम करता है लगभग 4–5 साल पूर्व से मन्दिर पर मनमोहन दास बाबा पुत्र अवधेश कुमार दास निवासी ग्राम ककियुली थाना नबावगंज जिला फर्रुखाबाद रह रहा है जो अपराधी प्रवत्ति का है थाना नबावगंज से पूर्व में जेल जा चुका है। बाबा दुकानें खाली कराना चाहता था इसीलिए आये दिन गाली गलौज करता रहता था आज दिनांक 03.10.2016 को मैं व मेरे रिश्तेदार छोटे वर्मा पुत्र रघुवीर वर्मा निवासी बजरिया हरलाल थाना कोतवाली फर्रुखाबाद क्लीनिक पर बैठे थे समय करीब 4 बजे दिन बाबा मोहनदास मन्दिर से बाहर आकर गाली गलौज करने लगा अमित राठौर ने गाली देने से मना किया तो मनमोहनदास ने अमित राठौर के सिर में पीछे की तरफ गोली मार दी जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गयी मेरे भाई ने ललकारा तो उन पर भी जान से मारने की नियत से फायर किया। गोली उनके सीने में लगी। हम लोग व आसपास के दुकानदार पकड़ने की कोशिश की तो तमंचा लहराता हुआ फायर करता हुआ मन्दिर के पीछे की तरफ भाग गया। मौके पर दहशत फैल गयी आने जाने वाले रास्तागीर अपनी जान बचाकर दुकानों के पीछे आड़ में दुबक गए दुकानदार अपनी दुकानों के पीछे दुबक गये। दुकानदार अपनी दुकान बन्द करके इधर उधर भागने लगे। आसपास के मकानात में रहने वाले लोग अपने मकान में दुबक गये दरवाजे बन्द कर लिए। मैं व अपने रिश्तेदार के सहयोग से अमित राठौर को मृत घोषित कर दिया जिसका शव मोर्चरी में रखा है। मेरे भाई को रिफर कर दिया जो डा०सुबोध कुमार वर्मा के अस्पताल में इलाजरत है।" रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।

3– दिनांक 06.10.2016 को वादी सुमित राठौर द्वारा एक अन्य तहरीर थानाध्यक्ष मऊदरवाजा को इस आशय की प्रस्तुत की कि"दिनांक 03.10.2016 को सायं करीब 4 बजे अपने भाई अमित राठौर के पास श्री राम जानकी मन्दिर जसमई स्थिर मोटरसाइकिल मरम्मत की दुकान जिस पर मेरा भाई अमित राठौर मैकेनिक का काम करता है गया था उसी समय बाबा मनमोहन दास पुत्र अवधेश कुमार दास मूल निवासी ग्राम ककियुली थाना नबावगंज जनपद फर्रुखाबाद हाल पता श्री रामजानकी मन्दिर जसमई थाना मऊदरवाजा जनपद फर्रुखाबाद अचानक मन्दिर से निकल कर आया और मेरे छोटे भाई अमित राठौर से गाली गलौज करने लगा मेरे भाई ने मना किया तो हाथ में लिए अधिया (तमंचा) से मेरे भाई के सिर में गोली मार दी पास की दुकान में अपने क्लीनिक पर बैठे डा० विशाल वर्मा तथा मौके पर मौजूद अन्य लोगों ने बाबा को ललकारा तो बाबा मनमोहन दास ने डा० विशाल वर्मा के भी सीने में गोली मार दी जिससे अफरा तफरी मच गयी हम लोगों ने

बाबा को पकड़ने का प्रयास किया तो वह गोलियाँ चलाते हुए मन्दिर के पीछे से भाग गया बाबा द्वारा मेरे भाई तथा डा० विशाल वर्मा पर जान से मारने की नीयत से गोली मारी गयी है। मेरे भाई की मृत्यु मौके पर ही हो गयी थी इसके पश्चात मैं दुकानदारों व अन्य लोगों की मदद से अपने भाई तथा डा० विशाल वर्मा को लेकर डा०राम मनोहर लोहिया अस्पताल फर्रुखाबाद आये जहां डाक्टरों ने मेरे भाई अमित राठौर को मृत घोषित कर दिया तथा डा० विशाल वर्मा को गम्भीर हालत में भर्ती कर लिया। दिनांक 04.10.2016 को मेरे भाई अमित राठौर के शव का पुलिस द्वारा पंचायतनामा भर कर पोस्टमार्टम कराया गया है। कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।"

4– वादी बोबी वर्मा उर्फ शशिकान्त वर्मा की तहरीर प्रदर्श क–1 के आधार पर दिनांक 03.10.2016 को ही समय 20.20 बजे थाना मऊदरवाजा जनपद फर्रुखाबाद में अ०सं० 390/2016 अभियुक्त मनमोहन दास बाबा के विरूद्ध धारा 302, 307 भा०दं०सं० के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श क–4) दर्ज की गयी जिसका इन्द्राज उसी दिन जी०डी० सं० 43 समय 20.20 बजे (प्रदर्श क–5) पर किया गया। मामले की विवेचना एस.ओ. सुनील कुमार यादव के सुपुर्द की गयी।

5– विवेचक सुनील कुमार यादव अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ घटनास्थल पर पहुँचे जहां उन्होंने वादी की निशानदेही पर नक्शा नजरी घटनास्थल प्रदर्श क–14 तैयार किया एवं घटनास्थल से मिट्टी सादा व मिट्टी खूनआलूदा लेकर उसकी फर्द मौके पर तैयार की तथा घटना से सम्बन्धित लेने कब्जा पुलिस तीन खोखा कारतूस 315 बोर बरामदगी घटनास्थल की फर्द तैयार की। उपनिरीक्षक हरपाल सिंह द्वारा मृतक अमित राठौर का पंचायतनामा प्रदर्श क–6 लोहिया अस्पताल की मौर्चुरी में किता किया गया एवं पंचायतनामा के साथ के प्रपत्र तैयार कर अमित राठौर के शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया। विवेचक द्वारा चश्मदीद गवाहान छोटेलाल वर्मा एवं अंकित वर्मा के बयान केस डायरी में अंकित किये। अभियुक्त मनमोहन दास बाबा की गिरफतारी की एवं उसके कब्जे से एक अधिया आला कत्ल 315 बोर व कारतूस जिन्दा 315 बसो बरामद किये जिनका इन्द्राज केस डायरी में किया। आर्म्स एक्ट में अभियुक्त के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कराया। मृतक अमित राठौर के पोस्टमार्टम रिपोर्ट की नकल केस डायरी में की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक अमित राठौर के शरीर के निकली गोली सील सर्वमोहर प्राप्त हुयी जिसे दाखिल किया गया। इस बीच प्रथम विवेचक सुनील कुमार यादव का स्थानान्तरण हो गया। द्वितीय विवेचक संजीव सिंह राठौर द्वारा अग्रेतर विवेचना सम्पादित की गयी जिन्होंने विवेचना पूर्ण कर आरोपपत्र अभियुक्त मनमोहन दास बाबा के विरूद्ध प्रस्तुत किया।

6– आरोप पत्र धारा 302, 307 भा०दं०सं० एवं आरोपपत्र धारा 3/25/27 आयुध अधिनियम का प्रसंज्ञान विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट फर्रूखाबाद द्वारा लिया गया तथा सत्र न्यायालय के सुपुर्द किया गया। तदोपरांत सत्र न्यायालय में अभियुक्त मनमोहनदास

बाबा के विरूद्ध दिनांक 17.01.2017 को धारा 302,307 भा०दं०सं० एवं धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत आरोप विरचित किये गये। आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाये व समझाये गये जिससे अभियुक्त ने इन्कार किया एवं विचारण की मांग की, तदनुसार विचारण आरम्भ हुआ।

7– अभियोजन पक्ष की ओर से अपने केस को साबित करने के लिए मौखिक साक्ष्य में पी०डब्लू 1 शशीकान्त वर्मा उर्फ बॉबी, पी०डब्लू 2 सुमित कुमार, पी०डब्लू 3 शिवकुमार उर्फ छोटे, पी०डब्लू 4 डा० निरंजन कुमार, पी०डब्लू 5 अनिल सिंह, पी०डब्लू 6 विशाल वर्मा, पी०डब्लू 7 शानू, पी०डब्लू 8 कान० 549 अनुरुद्ध प्रताप, पी०डब्लू 9 हरपाल सिंह, पी०डब्लू 10 निरीक्षक सुनील कुमार यादव, पी.डब्लू.11 डा० प्रदीप सिंह, पी.डब्लू. 12 डा० योगेन्द्र सिंह परामर्शदाता रेडियोलाजिस्ट, पी.डब्लू. 13 जय मोहन सिंह, पी.डब्लू. 14 एच.सी. 134 हरिओम यादव, पी.डब्लू. 15 डा० सुबोध कुमार वर्मा को परीक्षित कराया गया तथा उक्त साक्षियों के अतिरिक्त अन्य कोई साक्षी अभियोजन द्वारा परीक्षित नहीं कराया गया एवं अभियोजन साक्ष्य समाप्ति का अंकन किया गया।

8– अभियोजन की तरफ से प्रस्तुत इन साक्षियों द्वारा अभियोजन प्रपत्रों को साबित किया है जिसके आधार पर प्रदर्श डाले गए जो इस प्रकार हैं कि–

प्रदर्श	विवरण	साक्षी
प्रदर्श क–1	तहरीर	पी.डब्लू. 1 शशीकान्त वर्मा उर्फ बॉबी
प्रदर्श क–2	तहरीर दिनांकित 03.10.2016	पी.डब्लू. 2 सुमित कुमार
प्रदर्श क–3	पोस्टमार्टम रिपोर्ट	पी.डब्लू. 4 डा० निरन्जन कुमार
प्रदर्श क–4	प्रथम सूचना रिपोर्ट	पी.डब्लू. 8 कान० 549 अनुरूद्ध प्रताप
प्रदर्श क–5	जी.डी. कायमी	
प्रदर्श क–6	पंचायतनामा	पी.डब्लू. 9 उपनिरीक्षक हरपाल सिंह
प्रदर्श क–7	चिट्ठी सी.एम.ओ.	
प्रदर्श क–8	फोटो नाश	
प्रदर्श क–9	पुलिस फार्म नं० 33	
प्रदर्श क–10	पुलिस फार्म नं ० 13	
प्रदर्श क–11	फर्द लेने कब्जा मिट्टी सादा व खून आलूदा	पी.डब्लू.10 निरीक्षक सुनील कुमार यादव
प्रदर्श क–12	फर्द लेने कब्जा 03 अदद खोखा कारतूस 315 बोर	
प्रदर्श क–13	फर्द लेने कब्जा बाबत मजरूब विशाल वर्मा के खूनआलूदा कपड़े	
प्रदर्श क–14	नक्शा नजरी घटनास्थल	

प्रदर्श क–15	फर्द बरामदगी एक अदद अधिया 315 बोर व दो अदद कारतूस 315 बोर व एक नाल में फंसा खोखा कारतूस	
प्रदर्श क–16	चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट मजरूब विशाल	पी.डब्लू. 11 डा० प्रदीप सिंह
प्रदर्श क–17	डिस्चार्ज रशीद	
प्रदर्श क–18	सप्लीमेन्ट्री रिपोर्ट मजरूब विशाल वर्मा	
प्रदर्श क–19	एक्स–रे रिपोर्ट मजरूब विशाल वर्मा	पी.डब्लू. 12 डा० योगेन्द्र सिंह
प्रदर्श क–20	आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 3/25/27	पी.डब्लू. 13 जयमोहन सिंह
प्रदर्श क–21	नक्शा नजरी सम्बन्धित अपराध संख्या 391/2016	
प्रदर्श क–22	अभियोजन स्वीकृति	
प्रदर्श क–23	आरोप पत्र सम्बन्धित अपराध संख्या 390/2016	पी.डब्लू. 14 एच.सी. 134 हरिओम यादव
प्रदर्श क–24	नक्शा नजरी बरामदगीस्थल आला कत्ल	
प्रदर्श क–25	प्रथम सूचना रिपोर्ट सम्बन्धित अपराध संख्या 391/2016	
प्रदर्श क–26	जी.डी. कायमी सम्बन्धित अपराध संख्या 391/2016	
प्रदर्श क–27	एडमिशन स्लिप मजरूब विशाल शर्मा	पी.डब्लू. 15 डा०सुबोध वर्मा
प्रदर्श क–28	ओ.पी.डी. पर्चा डा० सुबोध वर्मा	
प्रदर्श क–29 ए	एफ.एस.एल. रिपोर्ट	द्वारा अभियोजन
प्रदर्श क–30	एफ.एस.एल. रिपोर्ट	

वस्तु प्रदर्श	**विवरण**	**साक्षी**
वस्तु प्रदर्श–1	बण्डल का कपडा	पी.डब्लू.10 निरीक्षक सुनील कुमार यादव
वस्तु प्रदर्श–2	बण्डल के अन्दर से निकला कपडा	
वस्तु प्रदर्श–3	तमंचा/अधिया	
वस्तु प्रदर्श–4	जिन्दा कारतूस	
वस्तु प्रदर्श–5	जिन्दा कारतूस	
वस्तु प्रदर्श–6	खोखा कारतूस	

वस्तु प्रदर्श–7	खोखा कारतूस	
वस्तु प्रदर्श–8	खोखा कारतूस	
वस्तु प्रदर्श–9	खोखा कारतूस	
वस्तु प्रदर्श–10	खोखा कारतूस	
वस्तु प्रदर्श–11	खोखा कारतूस	
वस्तु प्रदर्श–12	बुलेट	
वस्तु प्रदर्श–13	बुलेट	
वस्तु प्रदर्श–14	बुलेट	
वस्तु प्रदर्श–15	बुलेट	
वस्तु प्रदर्श–16	खाली लिफाफा	
वस्तु प्रदर्श–17	खाली लिफाफा	
वस्तु प्रदर्श–18	खाली लिफाफा	
वस्तु प्रदर्श–19	प्लास्टिक की डिब्बी	
वस्तु प्रदर्श–20	अन्दर पट्टी पर	
वस्तु प्रदर्श–21	सफेद कागज	
वस्तु प्रदर्श–22	सफेद कागज	
वस्तु प्रदर्श –23	छोटी पुडिया कपडा	
वस्तु प्रदर्श–24	एक्स–रे प्लेट	पी.डब्लू. 12 डा० योगेन्द्र सिंह

9– अभियुक्त की धारा 313 दं०प्र०सं० के तहत परीक्षा हुयी। अभियुक्त ने बयान अन्तर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. में कहा है कि अभियोजन कथानक असत्य है। उसके द्वारा ऐसी कोई घटना कारित नहीं की गयी तथा उससे की गयी बरामदगी भी असत्य है उसके पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ। वादी ने झूठा बयान दिया है व झूठए प्रपत्र साबित किये हैं। विशाल वर्मा का सगा भाई व हितवद्ध साक्षी है। सुमित कुमार ने झूठा बयान दिया व झूठे प्रपत्र साबित किये। मृतक का सगा भाई व हितबद्ध साक्षी है। पी.डब्लू. 3 के साक्ष्य के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है। पोस्टमार्टम के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है। साक्षी अनिल सिंह ने झूठा बयान दिया व झूठे प्रपत्र साबित किये। मृतक का दोस्त पडोसी व हितबद्ध साक्षी है। विशाल वर्मा के साक्ष्य के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है। पी.डब्लू. 7 शानू ने झूठा बयान दिया। पी.डब्लू. 8 कान० 549 अनुरुद्ध प्रताप ने झूठा बयान दिया व झूठे प्रपत्र साबित किये। पंचायतनामा के सम्बन्ध में साक्षी ने झूठा बयान दिया व झूठे प्रपत्र साबित किये। विवेचक सुनील कुमार यादव ने झूठा बयान दिया व झूठे प्रपत्र साबित किये। राजनैतिक दबाव में झूठे साक्ष्य संकलित कर दोषपूर्ण विवेचना की। पी.डब्लू. 11 व पी.डब्लू. 12 डा० योगेन्द्र सिंह के साक्ष्य के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है। साक्षी जयमोहन सिंह ने झूठा बयान दिया व झूठे प्रपत्र साबित किये। पी.डब्लू. 14 हरिओम यादव ने झूठा बयान दिया व झूठे प्रपत्र साबित

किये। डा० सुबोध वर्मा के साक्ष्य के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है। उसके विरुद्ध झूठे साक्ष्य पर रंजिशन मुकदमा चला। वह सफाई साक्ष्य देना चाहता है। अभियुक्त ने अतिरिक्त कथन कर कहा है कि वादी, मृतक व घायल व उनके परिजन रामजानकी मन्दिर जसमई दरवाजे पर बनी दुकानों पर काबिज थे जिनका वह किराया नहीं दे रहे थे। अभियुक्त द्वारा किराया मांगने पर विवाद करके उसे दिनांक 01.10.2016 को भगा दिया था। कथित घटना के समय वह न तो घटनास्थल पर दिनांक 03.10.2016 को था न ही उसके द्वारा घटना कारित की गयी। मन्दिर की सम्पत्ति कब्जाने के उद्देश्य से उसके विरुद्ध यह झूठा मुकदमा पंजीकृत कराया गया। वह पूर्णतः निर्दोष है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्रदर्श क–29 ए व प्रदर्श क–30 दोनों रिपोर्ट असत्य हैं, पुलिस द्वारा फर्जी तरीके से तैयार करायी गयी है, जबकि उसे उसके घर से पकड़कर इस मुकदमें में झूठा चालान किया गया इसलिए दोनों रिपोर्ट असत्य हैं, उससे कोई बरामदगी नहीं हुई और ना ही बरामदगी का कोई जनसाक्षी है।

10– सफाई साक्ष्य में अभियुक्त की ओर से किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया

11– अभियोजन पक्ष की तरफ से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखीय एवं मौखिक साक्ष्यों का सम्यक रूप से अवलोकन किया।

अभियोजन द्वारा तर्क दिया गया है कि इस मामले में पी०डब्लू–1 एवं2 ने अभियुक्तों द्वारा घटना का विस्तृत वृतान्त कहते हुए अभियुक्तों की अपराध में संलिप्तता के बाबत सटीक साक्ष्य दिया है यद्यपि कतिपय जिरह में साक्षीगण ने अभियोजन के प्रतिकूल तथ्य कहे हैं तथापि उन कथनों से अभियोजन कथानक पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडता है क्योंकि साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त का क्षेत्र में काफी दबाव है जिससे उसके विरुद्ध साक्ष्य देने में व्यक्ति कतराते हैं। अभियोजन के संपूर्ण साक्ष्य से साक्षीगण ने अभियुक्त के द्वारा कारित अपराध का साक्ष्य दिया है। अभियुक्त द्वारा चलायी गयी गोली मृतक अमित राठौर के शरीर से पोस्टमार्टम के दौरान निकाली गयी है एवं उक्त गोली अभियुक्त द्वारा हत्या में प्रयुक्त हथियार अधिया बन्दूक से चलाया जाना विधि विज्ञान प्रयोगशाला रिपोर्ट से साबित है एवं उक्त अधिया बन्दूक अभियुक्त के कब्जे से बरामद हुई है जिसे साक्षियों ने संदेह से परे साबित किया है। घटनास्थल से खोखा कारतूस की बरामदगी भी संदेह के परे साक्षियों द्वारा साबित की गयी है, इस प्रकार समस्त अभियोजन साक्ष्य अभियुक्त की दोषसिद्ध हेतु विश्वास प्रेरित करता है इसलिए अभियुक्त को दोषसिद्ध कर कठोर दण्ड से दण्डित किया जाये।

वहीं दूसरी तरफ अभियुक्त की तरफ से बचाव में तर्क दिया गया है कि इस मामले में वास्तव में कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है अपितु जानबूझकर साक्षी बनाये गये हैं। वादी द्वारा एवं चुटैल साक्षी पी०डब्लू० 6 द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया है एवं पी०डब्लू० 6 को पक्षद्रोही भी घोषित किया गया है। पी०डब्लू० 2 की घटनास्थल पर

उपस्थिति संदेहास्पद है, इसलिए उसकी साक्ष्य पर भरोसा नहीं किया जा सकता। पुरानी रंजिश की वजह से अभियुक्त को झूठा नामजद कर दिया गया है, क्योंकि वादी, मृतक व घायल रामजानकी मंदिर की दुकानों पर काबिज थे जिनका वह किराया नहीं दे रहे थे इसलिए अभियुक्त द्वारा किराया मांगने पर विवाद हुआ था। अभियुक्त घटनास्थल पर नहीं था, मंदिर की संपत्ति कब्जाने के उद्देश्य से उसको फसाया गया है, अनुरोध किया कि अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाये।

प्रस्तुत मामले में अभियुक्त पर धारा 302,307 भा०दं०सं० का आरोप लगाया गया है एवं पृथक से धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट का आरोप लगाया गया है, अब देखना यह है कि क्या अभियोजन इन आरोपों को सन्देह के परे साबित करने में सफल रहा है अथवा नहीं?

<u>अभियोजन साक्ष्यः</u>–

12–. अभियोजन पक्ष की तरफ से प्रस्तुत पी०डब्लू 1 वादी शशिकान्त वर्मा उर्फ बॉबी ने अपनी मुख्य परीक्षा साक्ष्य में कहा है कि " मेरे वड़े भाई विशाल वर्मा की क्लीनिक दुकान राम जानकी मन्दिर में ही है, वही पर अपनी क्लीनिक चलाते है। इनकी दुकान के पास में अमित राठौर की दुकान है, जो मोटर साइकिल की मरम्मत करते है। घटना से चार–पांच साल पूर्व से मन्दिर पर अभियुक्त मनमोहन दास पुत्र अवधेश कुमार दास निवासी कक्यूली थाना नवावगंज रह रहा था। इस घटना से पूर्व भी यह जेल जा चुका है और दुकाने खाली कराने के लिये गाली –गलौज करता रहता था। घटना दिनांक 03.10.2016 समय शाम के 4 बजे की है। मैं व मेरे रिश्तेदार छोटे वर्मा क्लीनिक दुकान पर बैठे हुये थे, अभियुक्त मनमोहन दास मां–वहिनों की गाली गलौज करने लगा। अमित राठौर ने गाली देने से मना किया तो इसी बात पर मनमोहन दास ने अमित राठौर के सिर में पीछे तरफ जान से मारने की नियत से गोली मार दी जिससे अमित राठौर की मौके पर मृत्यु हो गयी थी। विशाल वर्मा ने ललकारा, तो उन पर भी जान से मारने की नियत से अधिया (तमंचा) से फायर किया, जो उनके सीने में गोली लगी, हम लोग व आस पास दुकानदारों ने पकड़ने की कोशिश की तो तमंचा लहराता हुआ फायर करता हुआ भाग गया। मौके पर दहशत फैल गयी, लोग जान वचाकर दुकान की आड़ में छिप गये और अपनी– अपनी दुकाने बन्द करके भागने लगे। आस पास के मकान में रहने वाले लोग अपने मकान में छिप गये तथा दरवाजे वन्द कर लिये। फायर की आवाज सुनकर रायपुर चौकी के पुलिस वाले मौके पर आ गये थे। मैं व मेरे रिश्तेदार के सहयोग से अमित राठौर व अपने भाई विशाल को कार से लोहिया अस्पताल ले गये थे, जहां पर अस्पताल में डा० अमित राठौर को देखकर मृत घोषित कर दिया था और मेरे भाई विशाल वर्मा को भर्ती कर लिया था तथा मैने अपने भाई विशाल वर्मा को रेफर कराकर डा०सुवोध वर्मा के अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती करा दिया। अमित राठौर की लाश अस्पताल में मोर्चरी में रखी। घटना की तहरीर लोहिया अस्पताल में ही सानू वर्मा को बोलकर उनसे लिखवाई थी। तहरीर को मैंने पढ़कर सुनकर समझकर उस पर अपने हस्ताक्षर किये

थे। का०सं० 4A/3 को देखकर गवाह ने कहा कि यह वही तहरीर है, जो मैंने अस्पताल में सानू वर्मा से बोलकर लिखायी थी। गवाह ने अपने हस्ताक्षर की पहचान व पुष्टि की जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया। मैंने सानू वर्मा को साथ लेकर प्रदर्श क–1 के आधार पर थाना मऊदरवाजा में मुकदमा लिखाया था। घटना के संबंध में पुलिस ने मेरा बयान लिया तथा मेरी निशानदेही पर घटनास्थल का मुआयना किया था तथा नक्शा तैयार किया था।"

13. पी०डब्लू० 2 सुमित कुमार ने अपनी मुख्य परीक्षा साक्ष्य में कहा है कि "मृतक अमित राठौर मेरा भाई था। मेरा भाई अमित राठौर जसमई दरवाजा रामजानकी मंदिर पर मोटर मैकेनिक का काम करते थे। बाबा मन मोहनदास पुत्र अवधेश कुमार निवासी–ग्राम कक्यूली, थाना नवाबगंज जिला फर्रूखाबाद राम जानकी मंदिर पर रहते थे। रामजानकी मंदिर में ही स्थित दुकान डा. विशाल वर्मा अपनी दुकान किये थे। दिनांक 03.10.16 को मेरे अपने भाई अमित राठौर की दुकान पर उनके लिए फल–फूल बगैराह लेकर आये थे, क्योंकि उन दिनों मेरा भाई का नवरात्र का व्रत चल रहा था। समय लगभग चार बजे का शाम का होगा,जैसे ही मंदिर से दूर तक पहुंच गये कि हमने देखा रामजानकी मंदिर से अचानक बाबा मन नोहनदास मंदिर से बाहर निकल आये और गाली–गलौज देने लगे। मेरे भाई अमित ने मना किया, मना करने पर मेरे भाई अमित के सिर में तमंचे से गोली मार दी। पास की दुकान से डा. विशाल वर्मा तथा मौके पर मौजूद अन्य लोगों ने मनमोहन दास को ललकारा तो डा. विशाल वर्मा को भी सीने में गोली मार दी, अफरा तफरी मच गयी। हम सभी लोगों ने मनमोहन दास बाबा को पकड़ने का प्रयास किया तो वह फायरिंग करते हुए मंदिर के पीछे से भाग गये। बाबा मन मोहनदास द्वारा मेरे भाई अमित राठौर व डा. विशाल वर्मा को जान से मारने की नियत से गोली मारी गई। मेरे भाई मृतक अवस्था में दिखाई दिये। पास की चौकी से पुलिस आ गयी। दुकानदारों व अन्य लोगों की मदद से हम सभी लोग डाक्टर विशाल वर्मा व अपने भाई को राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले गये। डाक्टर ने मेरे भाई को मृत घोषित कर दिया और डाक्टर विशाल वर्मा को भर्ती कर लिया। मेरे भाई की लाश का पंचायतनामा भरा गया था और पोस्टमार्टम हुआ था। दाह संस्कार के बाद कुछ लोगों ने मुझ से कहा कि डाक्टर विशाल ने मुकदमा लिखा दिया है। तुम भी लिखा दो, तब मैंने दिनांक 06.10.16 को अनिल सिंह से प्रार्थना पत्र लिखवाकर पढ़कर सुनकर अपने हस्ताक्षर बनाकर थाना मऊदरवाजा को दिया था। तहरीर पेपर संख्या 27A देखकर गवाह ने कहा कि वही तहरीर है, जो मैंने अनिल सिंह पुत्र सोवरन सिंह से बोलकर लिखावाई थी। गवाह ने तहरीर पर बने अपने हस्ताक्षर की पहचान की उस पर **प्रदर्श क–2** डाला गया। पंचायतनामा पर दरोगा जी ने मेरे अन्य पंचों के दस्तखत करवाये थे। पंचायतनामा पेपर संख्या 11A/2 पर गवाह ने अपने हस्ताक्षर की पहचान की, इस घटना के संबंध में दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था।"

14. पी०डब्लू० 3 शिवकुमार उर्फ छोटे ने अपनी मुख्य परीक्षा साक्ष्य में कहा है कि" दिनांक 03.10.2016 को मैं बावी गुप्ता के साथ डा. विशाल वर्मा के क्रीनिक पर जसमई

दरवाजे पर मैं नहीं बैठा था। समय करीब 4 बजे रामजानकी मंदिर के बाबा मनमनोहन दास ने मेरे सामने कोई गाली गलौज नहीं किया और न ही मेरे सामने अमित राठौर को गोली मारी न ही मेरे बहनोई विशाल वर्मा के गोली मारी थी। घटना वाले दिन मैं अपने घर पर था। दरोगा जी ने घटना के संबंध में मुझसे कोई पूंछताछ नहीं की थी। मैं अपने बहनोई विशाल वर्मा व अमित राठौर को घायल अवस्था में अस्पताल नहीं ले गया था। न ही दरोगा जी मुझे घटनास्थल पर ले गये थे। मेरे सामने घटनास्थल की कोई लिखा पढ़ी दरोगा जी ने नहीं की थी"

15. पी०डब्लू० 4 डा० निरंजन कुमार ने अपनी मुख्य परीक्षा साक्ष्य में कहा है कि"दिनांक 04.10.16 को मैं सी.एच.सी. कमालगंज में बतौर चिकित्साधिकारी तैनात था, किन्तु उस दिनांक को मेरी ड्यूटी शव विच्छेदन हेतु नियत थी। उस दिन कां० 402 श्यामलाल व कां० 39 जगमोहन थाना मऊदवाजा से मृतक अमित की सर्व मुहर लाश लेकर आये थे, जिसका मैंने शव विच्छेदन 2 बजे शुरू किया था और 02.40 बजे समाप्त किया था। मृतक की उम्र करीब 25 वर्ष थी, उसके पिता का नाम श्यामबाबू निवासी सर्वोदय नगर थाना मऊदरवाजा, जिला फर्रूखाबाद का निवासी थी। मृतक की कद काठी साधारण थी। मृतक की आंखे व मुंह बंद था तथा सूखे खून का थक्का सिर व गर्दन के पीछे मौजूद था। स्टेनिंग पीछे के हिस्से में मौजूद थी। शरीर की अकड़न ऊपरी हिस्से तथा दोनों हाथों तथा दोनों पैरों में मौजूद थी। आन्तरिक परीक्षण– मृत्यु पूर्व आयी चोट–15x1 सेमी० गहराई दिमाग के अंदरूनी हिस्से तक गोली के घुसने का घाव सर के पीछे दाहिनी ओर जिसके किनारे अन्दर की ओर मुड़े हुये थे, कालीमा लिये हुए तथा फटा हुआ था। जख्म के चारों ओर टेटोइंग मौजूद थी जिसका टोटल एरिया 5x4 सेमी० था। मृतक के दिमाग का आंतरिक परीक्षण करने पर ओसीपीटल बोन टूटी हुई थी तथा दिमाग की झिल्ली तथा दिमाग फटा हुआ था और 1 बुलट जिसका आकार विकृत था तथा उसका रंग पीला था तथा दूसरा बुलेट जिसका आकार विकृत था तथा उसका रंग काला था, बरामद हुये थे। जिसको एक लिफाफे में रखकर पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ को भेजा गया था। मृतक के पेट को खोलकर देखने पर उसके पेट में करीब 40 मिली० तरल पदार्थ पाया गया था। मृतक के मूत्राशय में करीब 30 मिली० मूत्र उपलब्ध था। मेरी राय में मृतक अमित राठौर की मृत्यु उसके गोली लगने पर सदमे व अत्यधिक रक्तस्राव के कारण हुई थी। मृतक की मृत्यु करीब 1 दिन पूर्व होना संभव थी। मृतक के शरीर पर पाये गये 1 टी–शर्ट, 1 बनियान, 1 लोअर, 1 अण्डरवीयर, एक अंगूठी, एक कलाई का धागा, एक मोती की माला साधारण, एक गले का धागा जिसमें एक रूद्राक्ष पड़ा था। इन सभी वस्तुओं को एक कपड़े में रखकर सीलकर व सर्वमुहर कर एक पोटली शव लाने वाले पुलिस कर्मियों को उपलब्ध कराया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट 3 प्रतियों में तैयार कर 2 प्रतियां पुलिस अधीक्षक को व एक प्रति मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भेजी गयी थी। पत्रावली पर उपलब्ध का०सं० 12A पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखकर साक्षी ने कहा कि यह

रिपोर्ट मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में है जिसकी मैं पुष्टि करता हूं, जिस पर प्रदर्श क–3 डाला गया।"

16. पी०डब्लू० 5 अनिल सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा साक्ष्य में कहा है कि"दिनांक 03.10.2016 को समय 4 बजे शाम को मैं रामजानकी मंदिर के पास स्थित चाय की दुकान जसमई तिराहे पर चाय पी रहा था, तभी मैंने देखा कि रामजानकी मंदिर का पुजारी बाबा मनमोहन दास अपने हाथ में अधिया तमंचा लेकर मंदिर से बाहर निकला और मेरे मोहल्ले के अमित राठौर को दुकान पर मोटरसाइकिल को ठीक कर रहा था, अचानक गाली– गलौज करते हुए अमित राठौर के सिर में गोली मार दी। आस पास के दुकानदारों ने बाबा को ललकारा तो बाबा ने डा. विशाल वर्मा जो क्लीनिक पर थे, उन्हें भी गोली मार दी। विशाल वर्मा के गोली सीने में लगी, अफरा तफरी का माहौल हो गया, लोग जान बचाकर इधर–उधर भागने लगे और कुछ लोग बाबा को पकड़ने के लिए दौड़े तो बाबा फायरिंग करता हुआ मंदिर के पीछे होकर भाग गया। बाबा द्वारा की गयी फायरिंग से दहशत फैल गयी। लोग दुकानों तथा घरों को बंद करने लगे। बाबा द्वारा मारी गयी गोली से अमित राठौर की मौके पर ही मृत्यु हो गयी तथा डा० विशाल वर्मा गंभीर रूप से घायल हो गये। कुछ देर में पुलिस आ गयी। जनता के लोगों की मदद से राम मनोहर लोहिया अस्पताल अमित राठौर तथा डा० विशाल वर्मा को उठाकर ले गयी थी। ये घटना मेरे सामने की है। दिनांक 06.10.2016 को अमित राठौर के भाई सुमित राठौर ने इस घटना की तहरीर मुझसे बोल–बोलकर लिखायी थी। जिस पर सुमित राठौर ने अपने हस्ताक्षर बनाये थे। थाना मऊदरवाजा में तहरीर देकर मुकदमा पंजीकृत कराया था। का०सं० 27A को देखकर साक्षी ने कहा कि यह वही तहरीर है जो मैंने अपने हस्तलेख में लिखी थी और इस पर सुमित राठौर ने अपने हस्ताक्षर बनाये थे। तहरीर प्रदर्श क–2 के रूप में पत्रावली में शामिल है।"

17. पी०डब्लू० 6 विशाल वर्मा ने अपनी मुख्य परीक्षा के दौरान साक्ष्य में कहा है कि"घटना दिनांक 03.10.2016 समय 4 बजे मैं अपनी दुकान पर मौजूद था। मेरी दुकान से लगी हुई चौथी दुकान पर अमित राठौर मोटर मैकेनिक का काम करता था। ये दुकानें रामजानकी मंदिर की दुकानें है। इन्हीं में से एक दुकान किराये पर लेकर मैं अपनी क्लीनिक चलाता हूँ। मैं अपनी दुकान पर बैठा था, गोली चलने की आवाज सुनायी दी। मैं व मेरे साथ कई लोग घटनास्थल पर पहुच गये थे। घटनास्थल पर पहुंचा तो मेरे भी गोली लगी, गोली लगते ही हम बेहोश हो गये। मेरे गोली सामने गर्दन के निचले हिस्से में लगी थी। इसके बाद मैं बेहोश हो गया। कहां भर्ती कराया, मुझे ध्यान नहीं है, क्योंकि मैं बेहोश था। मुझे एक दिन बाद होश आया, जब मैं डा. सुबोध वर्मा के हास्पिटल में बैड पर था। जब मुझे होश आया तब मेरा ऑपरेशन सुबोध वर्मा के अस्पताल में हुआ था। जब मुझे होश आया तो मेरे पास मेरे भाई थे। मुझे अस्पताल में दिनांक 05.10.2016 को छुट्टी कर दी गयी थी। मेरा इलाज दिनांक 17.10.2016 तक निरंतर चलता रहा। मैं चल फिर नहीं पाया था, चलने की कोशिश करता

था। दरोगा जी ने मेरे बयान नहीं लिये थे। मेरी दुकान से घटनास्थल की दूरी 20–22 कदम है। जब घटनास्थल पर मैं पहुंचा अमित के गोली लग चुकी थी। मेरा एक्सरा हुआ था। पुलिस ने एक्सरा मांगा तो भाई द्वारा निकलवा कर लोहिया अस्पताल से लाकर पुलिस को दिया गया था। मृतक अमित राठौर के मंदिर के मेन गेट के बगल में मोबाइल शॉप के सामने अमित राठौर के गोली लगी थी। मंदिर के अन्दर पीपल का पेड है। मंदिर के अन्तिम छोर पर हार्डवेयर की दुकान है, जिसे विजय चलाते है।"

18. पी०डब्लू० 7 शानू ने अपनी मुख्य परीक्षा के दौरान साक्ष्य में कहा है कि "दिनांक 03.10.2016 को बॉवी वर्मा पुत्र श्री बृजमोहन वर्मा निवासी बजरिया सालिगराम ने एक तहरीर मुझसे बोल–बोलकर लिखवायी थी, जो तहरीर उन्होंने बोली थी, वहीं मैंने लिखा था। बावी वर्मा के साथ मैं थाने गया था। तहरीर वाबी वर्मा ने थाने पर दी थी। तहरीर में जो बावी वर्मा ने बताया था, वहीं मैंने लिखा था। तहरीर बाबी वर्मा को पढ़कर मैंने सुनायी थी। तहरीर पर बाबी वर्मा ने अपने हस्ताक्षर बनाये थे व लेखक के नीचे मैंने अपना नाम लिखा था। पत्रावली पर मौजूद का.सं. 4A/5 को देखकर साक्षी ने कहा कि यह प्रार्थना पत्र मेरे द्वारा हस्तलिखित व हस्ताक्षरित है,जिस पर पूर्व में प्रदर्श क–1 डाला जा चुका है।"

19. पी०डब्लू० 8 कान० 549 अनुरुद्ध प्रताप ने अपनी मुख्य परीक्षा के दौरान साक्ष्य में कहा है कि" दिनांक 03.10.2016 को मैं थाना मऊदरवाजा में कार्यलेख के पद पर तैनात था। उस दिन वादी मुकदमा बाबी वर्मा मय हमराही शानू वर्मा के साथ एक लिखित तहरीर लेकर थाना उपस्थित आया था। दाखिला तहरीर के आधार पर मैंने मु०अ०सं० 390/16, धारा 302,307 IPC बनाम मनमोहन दास बाबा पंजीकृत किया था। जिसका खुलासा मैंने जी.डी. नं० 43 पर समय 20.20 बजे किया था। तहरीर के आधार पर मैंने चिक रिपोर्ट शब्द–व–शब्द कम्प्यूटर आपरेटर से बोल–बोलकर टाइप करायी थी तथा उस पर थाना प्रभारी के हस्ताक्षर बनवाये थे। पत्रावली पर का०सं० 5A/1 लगायत 5A/4 चिक रिपोर्ट है जिसे मैंने कम्प्यूटर आपरेटर से बोलकर टाइप कराया था, जिसकी मैं पुष्टि करता हूं, जिस पर प्रदर्श क–4 डाला गया। पत्रावली में शामिल का०सं० 6A/1 लगायत 6A/2 नकल रपट है, जिसे मैंने मूल से छाया प्रति कराकर रिपोर्ट के समय संलग्न की थी। मूल जी.डी. से मिलान कर छाया प्रति को प्रमाणित करता हूं। जी.डी. की छाया प्रति मेरे लेख व हस्ताक्षर में है जिस पर प्रदर्श क–5 डाला गया। दौराने विवेचना विवेचक ने मेरा बयान लिया था।"

20. पी०डब्लू० 9 उपनिरीक्षक हरपाल सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा के दौरान साक्ष्य में कहा है कि "वर्ष 2016 में चौकी प्रभारी रायपुर थाना मऊदरवाजा में नियुक्त था। दिनांक 04.10.2016 को मेरे द्वारा मृतक अमित राठौर पुत्र श्यामबाबू राठौर निवासी सर्वोदय नगर थाना मऊदरवाजा जनपद फर्रूखाबाद मरचरी लोहिया अस्पताल फर्रूखाबाद मृतक उक्त अमित राठौर का नियमानुसार पंचायतनामा मुस्तब किया गया था। शव को पोस्टमार्टम हेतु कां० श्यामलाल व जगमोहन को सुपुर्द कर पी.एम. हाउस भेजा गया था। पंचायतनामा के

साथ शामिल प्रपत्र रिपोर्ट सी.एम.ओ. मेरे हस्तलेख में है। पत्रावली में शामिल का०सं० 11A/2 पंचायतनामा है, जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है एवं का०सं० 11A/3 चिट्ठी सी.एम.ओ., 11A/4 फोटनाश, 11A/5 चालान नाश, 11A/6 पुलिस फार्म 13, उक्त सभी कागजात मेरे लेख व हस्ताक्षर में है जिनकी मैं पुष्टि करता हूं, जिन पर क्रमशः प्रदर्श क–6 लगायत 10 डाले गये।"

21. पी०डब्लू० 10 प्रभारी निरीक्षक सुनील कुमार यादव ने अपनी मुख्य परीक्षा के दौरान साक्ष्य में कहा है कि" दिनांक 03.10.2016 को मैं बतौर थानाध्यक्ष थाना मऊदरवाजा में तानात था, उस दिन थाना हाजा पर मु०अ०सं० 390/16 धारा 302, 307 IPC बनाम मनमोहन दास बाबा पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना मैंने स्वयं ग्रहण की थी। उस दिन मैंने पर्चा 1 में नकल FIR एवं नकल जी.डी. व बयान वादी, बयान FIR लेखक केस डायरी में अंकित किये। दिनांक 04.10.16 को पर्चा नं० 2 में बयान गवाह चश्मदीद छोटेलाल वर्मा अंकित किया एवं वादी की निशानेदेही पर निरीक्षण घटनास्थल किया गया तथा मौके पर मिट्टी सादा एवं खून आलूदा की फर्द तैयार की गयी तथा घटनास्थल से प्राप्त तीन अदद खोखा 315 बोर की फर्द की नकल केस डायरी में अंकित की गयी। मेडिकल मजरूब विशाल वर्मा की नकल केस डायरी में की गयी। दिनांक 04.10.16 को ही पर्चा नं० IIA में अभियुक्त मनमोहन दास बाबा की गिरफ्तारी मय आला कत्ल एक अधिया 315 बोर व दो कारतूस जिन्दा 315 बोर व नाल में फंसा एक खोखा कारतूस गिरफ्तार कर मु०अ०सं० 392/16 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम मनमोहन दास बाबा थाना हाजा पर पंजीकृत कराया गया। फर्द की नकल केस डायरी में अंकित की गयी। नकल कायमी की नकल की गयी व नामजद अभियुक्त मनमोहन दास बाबा का बयान अंकित किया। दिनांक 05.10.16 को पर्चा नं० 3 में मृतक अमित राठौर की पी.एम. रिपोर्ट कार्बन कापी मृत्यु का कारण अंकित किया गया व समाचार पत्रों की खबर को संलग्न किया गया। दिनांक 06.10.16 को पर्चा नं० 4 मैं मजरूब डा. विशाल वर्मा का बयान अंकित किया गया तथा मजरूब को रेफर स्लिप व दवाई पर्चा की नकल की गयी। मृतक के भाई के द्वारा प्रार्थाना पत्र दिया गया जो सुमित राठौर द्वारा दिया गया, जिसकी नकल केस डायरी में की गयी। घटनास्थल पर घटना के समय भगदड़ मचने पर दर्जनों जूता चप्पल व मजरूब विशाल सक्सेना के शरीर से निकाली गयी गोली को सील सर्वमुहर आयी थी, दाखिल की गयी व घटनास्थल से प्राप्त खून आलूदा मिट्टी, सादा मिट्टी व खोखा कारतूस की फर्द की नकल की गयी। बाद पी.एम. का० द्वारा पी.एम.लिफाफा व एक्सरे मृतक को भी दाखिल किया गया। सभी की नकल केस डायरी में की गयी। दिनांक 09.10.16 को पर्चा नं० 5 मजरूब विशाल वर्मा के घटना के समय पहने हुये कपड़ों को कब्जा पुलिस में लेकर फर्द बनायी गयी तथा फर्द की नकल केस डायरी में की गयी। दिनांक 19.10.16 को अभियुक्त बाबा मनमोहन दास का द्वितीय रिमाण्ड किया गया। दिनांक 20.10.16 को मूल पंचायतनामा मय पी.एम. प्राप्त होने पर उसकी नकल केस डायरी

में की गयी। 02.11.16 को पर्चा नं० 8 में तीसरा रिमाण्ड किया गया। इसके बाद दिनांक 04.11.16 को मेरा स्थानांतरण हो गया था। दिनांक 04.10.16 को ही सादा मिट्टी एवं खून अलूदा मिट्टी की फर्द गवाह चन्द्रपाल व रामलडैते की मौजूदगी में तैयार कर उनके हस्ताक्षर बनवाये थे, जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है। पत्रावली पर का०सं० 9A/1 के रूप मे मौजूद है। जिस पर प्रदर्श क–11 डाला गया। का०सं० 9A/2 फर्द लेने तीन अदद खोखा कारतूस 315 बोर बरामद घटनास्थल से तथा का०सं० 9A/3 फर्द मजरूब विशाल के कपड़े खूनालूदा मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में है, का०सं० 9A/2 दिनांक 04.10.16 को मैंने घनास्थल पर ही गवाह चन्द्रपाल व रामलडैते की निशानदेही पर तैयार की थी। तथा हस्ताक्षर बनवाये थे तथा का०सं० 9A/3 मैंने दिनांक 09.10.16 को गवाह मीटू गुप्ता व शिव कुमार की मौजूदगी में तैयार कर उनके हस्ताक्षर बनवाये थे जिस पर क्रमशः प्रदर्श क–12 व प्रदर्श क–13 डाला गया। का०सं० 8A/1 नक्शा नजरी जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिसकी मैं पुष्टि करता हूं जिस पर प्रदर्श क–14 डाला गया। एस.टी. नं० 02/17 में का०सं० 4A/5 फर्द बरामदगी एक अदद अधिया देशी 315 बोर व दो अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व नाल में फंसा खोखा कारतूस 315 बोर आला कत्ल मुक०अ०सं० 390/16 धारा 302,307 IPC की फर्द मैंने उ०नि० हरिपाल सिंह से बोल–बोलकर लिखायी थी तथा अपने हस्ताक्षर बनाये थे, जिसकी मैं पुष्टि करता हूं, जिस पर प्रदर्श क–15 डाला गया। पैरोकार थाना मऊदरवाजा द्वारा एक बण्डल सील सर्वमोहर न्यायालय में लाया गया, जिसके ऊपर 1247–BAL–16, क्रि०नं० 390/16, 391/16 धारा 302,307 IPC व 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम बाबा मनमोहन दास थाना मऊदरवाजा लिखा है एवं बण्डल पर मेरे हस्ताक्षर बने है, को न्यायालय के समय उभयपक्ष की उपस्थिति में खोला गया, जिसमें अन्दर से एक अदद अधिया 315 बोर जो चालू हालत में है तथा एक खाली लिफाफा सील खुला हुआ जो पी.एम. नं० 498/16 से संबंधित है तथा एक खाखी लिफाफा जिस पर नमूना मोहर बगैर इबारत के है तथा एक सील्ड छोटा बण्डल सफेद कपड़े का जिसके ऊपर तीन अदद खोखा कारतूस 315 बोर संबंधित मु०अ०सं० 390/16 धारा 302,307 IPC थाना मऊदरवाजा बनाम मनमोहनदास जिस पर मेरे हस्ताक्षर मौजूद है, खाकी पोटली जो कटी हुई मौजूद है तथा एक खाखी पैकेट जिस पर 1247–BAL–16 व अन्य इबारत लिखा मौजूद है, जिसके अन्दर से दो अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर, 06 अदद खोखा कारतूस 315 बोर तथा दो बुलेट निकले जिन्दा कारतूसों पर LC–1,LC–2 लिखा है तथा TC–1 व TC–2 लिखा कारतूस 315 बोर निकले तथा EC–1,EC–2,EC–3 व EC–4 खोखा कारतूस 315 बोर निकले। LC–1,LC–2 जिन्दा कारतूस 315 बोर, EC–1 लगायत EC–4 खोखा कारतूस 315 बोर, तीन खोखा कारतूस घटनास्थल से व एक खोखा कारतूस आला कत्ल अधिया 315 बोर की बैरल से बरामद हुआ था। LC–1,LC–2 व EC–4 अभियुक्त व आला कत्ल अधिया से बरामद हुये थे। EC–1 लगायत EC–3 घटनास्थल से बरामद हुये थे तथा बुलेट 2

मृतक के शरीर से बरामद हुये थे तथा दो पुड़िया सफेद कागज में जिसमें के पुड़िया में 1247–BAL–16 FGH, एक 315 बोर की चली विकृत बुलेट चिन्हित FB1–C मजरूब विशाल वर्मा से प्राप्त हस्ताक्षर अपठनीय व एक पुड़िया में 12MT–BAL–16FGH1 एक 315 बोर की बुलेट की पैकिट चिन्हित J–1B एक बुलेट का विकृत मैडकोट चिन्हित LTT CPM NO.498/16 से प्राप्त हस्ताक्षर अपठनीय निकले एवं एक प्लास्टिक डिबीया सफेद कपड़े में सील जिसके अन्दर पट्टी रखी हुई निकली। बण्डल के कपड़े पर वस्तु प्रदर्श–1 तथा अन्दर निकले कपड़े पर वस्तु प्रदर्श–2 तमंचे अधिया पर वस्तु प्रदर्श–3 जिन्दा कारतूसों पर वस्तु प्रदर्श–4 व 5, खोखा कारतूसों पर क्रमशः वस्तु प्रदर्श 6 लगायत 11, बुलेट पर वस्तु प्रदर्श 12 लगायत 15 डाला गया। खाखी लिफाफो पर क्रमशः वस्तु प्रदर्श 16 लगायत 18 डाला गया। प्लास्टिक की डिब्बी व अन्दर पट्टी पर वस्तु प्रदर्श 19 व 20 डाला गया। सफेद कागजों पर वस्तु प्रदर्श 21 व 22, छोटी पुड़िया कपड़ा पर वस्तु प्रदर्श–23 डाला गया तथा एक दूसरा बण्डल सफेद कपड़े का जिस पर 1404–Sero–16 CO सिटी फतेहगढ मु०अ०सं० 390/16 धारा 302,307 IPC थाना मऊदरवाजा 28.12.17 लिखा हुआ खोला गया, जिसके अन्दर से एक सर्ट सफेद खून से सना हुआ। फुल आस्तीन की व सैन्डों बनियान रंग भूरा तथा पोटली में से ही मृतक के कपड़े तथा माला व एक ताबीज तथा बण्डल के अन्दर से ही एक टीन की डिब्बी जिसमें सादा मिट्टी व एक प्लास्टिक के डिब्बी में खूनालूदा मिट्टी है। सफेद शर्ट व बनियान मजरूब विशाल वर्मा से एवं सादा मिट्टी व खूनालूदा मिट्टी घटनास्थल से लिये थे। दूसरे बण्डल के कपड़े पर वस्तु प्रदर्श–24 शर्ट व बनियान पर वस्तु प्रदर्श 25 व 26, सादा मिट्टी पर वस्तु प्रदर्श 27 व खूनालूदा मिट्टी पर वस्तु प्रदर्श–28 तथा डिब्बी पर वस्तु प्रदर्श 29 व 30 डाला गया। मृतक के कपड़े माला, अन्डरवियर, बनियान, लोअर, टीशर्ट, कलावा, मोती की माला पर क्रमशः वस्तु प्रदर्श–31 लगायत 37 डाला गया। पोटली को न्यायालय के समय खोलकर पैरोकार को सुपुर्द किया गया।''

22– पी०डब्लू० 11 डा० प्रदीप सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा के दौरान साक्ष्य में कहा है कि "दिनांक 03.10.2016 समय 05.15 बजे मैं डा० आर.एम.एल. हास्पिटल में आकस्मिक चिकित्साधिकारी के पद पर तैनात था। उस दिन समय करीब 05.15 बजे विशाल वर्मा उम्र करीब 45 वर्ष पुत्र बृजमोहन वर्मा निवासी बजरिया, थाना मऊदरवाजा, जिला फर्रूखाबाद को उसका छोटा भाई बाबी वर्मा लेकर आया था। मेरे द्वारा विशाल वर्मा का चिकित्सीय परीक्षण किया गया, जिसके निम्न चोटे आई थी–1. फटा हुआ घाव 4 x 1 सेमी० कहराई पायी गयी, सीने के सामने की तरफ Sternum हड्डी के सामने था, रक्तस्राव हो रहा था। चोट को जेरे निगरानी रखते हुए क्सरे की सालह दी गयी। चोट ताजा थी। पत्रावली में शामिल का०सं० 16A/2 को देखकर साक्षी ने कहा कि यह वही चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट है, जो मैंने उपरोक्त विशाल को देखकर तैयार की थी। यह मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिसकी मै पुष्टि करता हूं, जिस पर प्रदर्श क–16 डाला गया। पत्रावली में

दाखिल का०सं० 17A जो चुटैल के रेफर स्लिप है, यह मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिसकी मैं पुष्टि करता हूं, जिस पर प्रदर्शक–17 डाला गया। मरीज विशाल वर्मा की चिकित्सीय परीक्षण की पूरक रिपोर्ट दिनांक 02.12.2016 समय 12.30 बजे मेरे द्वारा विशाल वर्मा का चिकित्सीय परीक्षण के उपरांत तैयार की गयी थी। मरीज के चोट को निगरानी में रखते हुए एक्सरे की सलाह दी गयी थी। एक्सरे रिपोर्ट सीनियर रेडियोलाजिस्ट डा. योगेन्द्र सिंह आर.एम.एल. अस्पताल द्वारा तैयार की गयी। एक्सरे रिपोर्ट MRL/INDOR 7806/03.10.16. एक्सरे रिपोर्ट– रोडियो ओपेक छाया धातु के घनत्व की, फारेनबाड़ी–गोली के शेष की सीने में ऊपरी तरफ तथा बीच के हिस्से में दिखी, जैसा कि एक्सरे प्लेट में मार्क है। फारेनबाडी ट्रांसवर्सली सीने में मौजूद थी। अतएव एक्सरे रिपोर्ट के आधार पर चोट साधारण तथा किसी आग्नेयास्त्र से आयी थी। पत्रावली में का०सं० 20A को देखर साक्षी ने कहा कि यह वही पूरक रिपोर्ट है, जो मैंने अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर में तैयार की थी, जिसकी मैं पुष्टि करता हूं, जिस पर प्रदर्श क–18 डाला गया।

23– पी०डब्लू० 12 डा० योगेन्द्र सिंह परामर्शदाता रेडियोलाजिस्ट ने अपनी मुख्य परीक्षा के दौरान साक्ष्य में कहा है कि" दिनांक 03.10.2016 को चुटैल विशाल वर्मा पुत्र ब्रजमोहन वर्मा उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी बजरिया सालिगराम थाना मऊदरवाजा जनपद फर्रूखाबाद को इन्डोर (भर्ती मरीज) से लाकर एक्सरे विभाग में एक्सरे कराने हेतु लाया गया। विशाल वर्मा को एक्सरे कराने का परामर्श पी.एम.ओ. द्वारा दिया गया था। चुटैल का एक्सरे अर्जेन्ट रूप से अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के आदेश के अनुपालन में दिनांक 03.10.16 को समय 05.40 PM पर किया गया। विशाल वर्मा का विवरण एक्सरे रजिस्टर में क्रमांक 7860 पर अंकित कर एक्सरे कराया गया और यही नम्बर एक्सरे प्लेट पर डाला गया। एक्सरे रिपोर्ट निम्नवत है– चुटैल विशाल वर्मा के सीने के एक्सरे में एक रोडियो ओपेक धातु के घनत्व की छाया प्रति फारेनबाडी बुलेट के आकार की सीने में ऊपरी एवं मध्य भाग में क्लेविकल हड्डी के क्षेत्र में मौजूद पायी गयी। जैसा कि एक्सरे मार्क किया गया है। फारेनबाड़ी सीने के क्षेत्र में ट्रांसवर्सली मौजूद थी। एक्सरे रिपोर्ट पर चुटैल का निशानी अंगूठा मेरे द्वारा प्रमाणित किया गया है। पत्रावली पर मौजूद का०सं० 14A/1 एक्सरे रिपोर्ट मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिसकी मैं पुष्टि करता हूं, जिस पर प्रदर्श क–19 डाला गया। पत्रावली में शामिल का०सं० 14A/2 एक्सरे प्लेट क्रमांक 7860 चुटैल विशाल वर्मा का है, जिसकी मैं पुष्टि करता हूं जिसपर वस्तु प्रदर्श–24 डाला गया। सीना शरीर का एक मार्मिक स्थल है। इस चोट/बुलेट से चुटैल की मृत्यु होना संभावित है।"

24– पी०डब्लू० 13 जयमोहन सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि "दिनांक 23.11.16 को मैं थाना मऊदरवाजा में बतौर उ०नि० के पद पर तैनात था। उस दिन मुझे मु०अ०सं० 391/16 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मऊदरवाजा की विवेचना पूर्व विवेचक योगेन्द्र शर्मा के निलंबित होने के पश्चात मुझे प्राप्त हुई थी। मैंने पूर्व विवेचक द्वारा

की गयी विवेचा का अवलोकन किया तथा साक्षियों से पूंछताछ की तथा घटनास्थल पर जाकर निरीक्षण भी किया था, जो पूर्व विवेचक द्वारा दर्शाया गया, वो सही था तथा अभियुक्त मनमोहन दास से बरामद तमंचा के संबंध में अभियोजन स्वीकृति डी.एम. आफिस से दिनांक 30.11.16 को प्राप्त की थी। गवाहों के बयान व निरीक्षण घटनास्थल व अन्य संकलित साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर अभियुक्त मनमोहन दास के विरुद्ध आरोप पत्र नं० 225/16 धारा 3/25/27 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत न्यायालय प्रस्तुत किया गया। पत्रावली में शामिल का०सं० 3A/1 लगायत 3A/4 आरोप पत्र है, जो कम्प्यूटरीकृत एवं मेरे हस्ताक्षर में है, प्रपत्र पर प्रदर्श क–20 डाला गया, जिसकी मैं पुष्टि करता हूं। पत्रावली में शामिल का०सं० 7A नक्शा नजरी है, जो उ०नि० योगेन्द्र शर्मा के लेख व हस्ताक्षर में है। उ०नि० योगेन्द्र मेरे साथ थाना मऊदरवाजा में तैनात रहे, इसलिए मैं उनके लेख व हस्ताक्षर को पहचानता हूं। मैं उनके लेख व हस्ताक्षर की पुष्टि करता हूं, प्रपत्र पर प्रदर्श क–21 डाला गया तथा का०सं० 8A अभियोजन स्वीकृति है, जिसे मैंने डी.एम. आफिस से प्राप्त किया था, प्रपत्र की मैं पुष्टि करता हूं, जिस पर प्रदर्श क–22 डाला गया।

25– पी०डब्लू० 14 हे०कां० 134 हरिओम यादव ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि "वर्ष 2016 में मैं थाना मऊदरवाजा में कांस्टेबल के पद पर तैनात था। मेरी तैनाती के समय SHO संजीव सिंह राठौर व हे० का० विसम्बर नाथ गौतम मेरी तैनाती के समय थाना मऊदरवाजा में तैनात रहे थे। मैंने उनको लिखते व हस्ताक्षर बनाते देखा। SHO संजीव सिंह राठौर व हे०का० विसम्बर नाथ गौतम की मृत्यु हो चुकी है। पत्रावली में शामिल का०सं० 3A/1 लगायत 3A/5 जो कम्प्यूटरीकृत आरोप पत्र है, जिसे SHO संजीव सिंह राठौर द्वारा तैयार कराया गया था तथा उस पर उनके हस्ताक्षर बने है। मैं उनके हस्ताक्षर की पुष्टि करता हूं, जिस पर प्रदर्श क–23 डाला गया है तथा पत्रावली में शामिल का०सं० 8A/2 नक्शा नजरी SHO संजीव सिंह राठौर के लेख व हस्ताक्षर में है, मैं उनके लेख व हस्ताक्षर की पुष्टि करता हूं, जिस पर प्रदर्श क–24 डाला गया। एस.टी. नं० 02/17 में शामिल का०सं० 4A/1 लगायत 4A/4 कम्प्यूटरीकृत चिक रिपोर्ट है, जिसे हे०कां० विसम्बर नाथ गौतम द्वारा कम्प्यूटर आपरेटर से बोल–बोलकर टाइप कराई गयी थी तथा तैयार होने के उपरांत प्रभारी के हस्ताक्षर कराये थे तथा विसम्बर नाथ गौतम द्वारा अपने हस्ताक्षर किये थे। चिक रिपोर्ट पर बने हस्ताक्षर को देखकर साक्षी ने कहा ये हस्ताक्षर विसम्बर नाथ गौतम के है। मैं इनके हस्ताक्षर की पुष्टि करता हूं जिस पर प्रदर्श क–25 डाला गया। पत्रावली में शामिल का०सं० 6A मुकदमा कायमी जी.डी. रपट है, जो हे०कां० विसम्बर नाथ गौतम के हस्तलेख व हस्ताक्षर में है, जिसे उनके द्वारा मूल जी.डी. में कार्बन लगाकर तैयार की गयी थी। मैं उनके हस्तलेख व हस्ताक्षर की पुष्टि करता हूं, जिस पर प्रदर्श क–26 डाला गया। हे०कां० विसम्बर नाथ गौत वर्ष 2016 में थाना कार्यालय में कार्यलेख के पद पर

तैनात थे।"

26– पी०डब्लू० 15 डा० सुबोध कुमार वर्मा ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि "वर्ष 2016 में मैं सरन हड्डी का अस्पताल के नाम से अस्पताल संचालित कर रहा था और मेरे यह अस्पताल आवास विकास बढ़पुर में स्थित था। दिनांक 03.10.2016 को मेरे उपरोक्त हास्पिटल में विशाल वर्मा पुत्र ब्रजमोहन वर्मा निवासी–4/141 बजरिया सालिगराम, जिला फर्रूखाबाद शाम 06.00 बजे भर्ती हुआ था। इस मरीज के सीने पर फायर आर्म्स की चोट थी। मरीज को भर्ती कर उसका आपरेशन मेरे द्वारा किया गया था एवं आपरेशन में उसके शरीर से एक बुलेट प्राप्त हुई थी। उस बुलेट को मैंने एक प्लास्टिक की डिब्बी को सर्वमोहर करके आहत के शरीर से प्राप्त बुलेट को थाना मऊदरवाजा की पुलिस को प्राप्त करा दिया था। मरीज को अगले दिन 04.10.2016 को डिस्चार्ज कर दिया गया था। पत्रावली में शामिल का०सं० 24A/1 लगायत 24A/3 मेरे द्वारा प्रमाणित छायाप्रति है, जो छायाप्रति के रूप में मेरे व संबंधित कर्मचारियों के संयुक्त लेख व हस्ताक्षर में है, जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क–27 डाला गया। पत्रावली में शामिल का०सं० 18A उपचार का पर्चा है, जिसमें मेरे द्वारा दिनांक 04.10.2016 को दवाइयां लिखी गयी थी और 07.10.2016 को मरीज को लाने हेतु अग्रिम तिथि नियत की गयी थी। दिनांक 07.10.2016 को भी मेरे द्वारा औषधियां लिखी गयी थी। तत्पश्चात् अग्रिम तिथि 12.10.2016 को आने हेतु मरीज को निर्देशित किया गया था। यह प्रपत्र मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिसकी मै पुष्टि करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क–28 डाला गया।"

27– प्रस्तुत मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट वादी बाबी वर्मा उर्फ शशिकान्त वर्मा की तहरीर प्रदर्श क–1 के आधार पर दर्ज हुयी है। घटना दिनांक 03.10.2016 समय 4.00 बजे शाम की बताई गयी है एवं थाने पर इसी दिन समय 8.20 बजे रात्रि में थाना मऊदरवाजा पर अंकित हो गयी है। वादी शशिकान्त वर्मा ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कहा है कि अभियुक्त मनमोहनदास ने अमित राठौर को सिर में पीछे की तरफ जान से मारने की नीयत से गोली मार दी एवं विशाल वर्मा ने ललकारा तो उनको भी जान से मारने की नीयत से उनके ऊपर फायर कर दिया जिसकी गोली उनके सीने में लगी। यह भी कहा है कि मौके पर दहशत फैल गयी तथा लोग जान बचाकर दुकान की आड़ में छिप गये एवं आसपास के मकानों में दरवाजे बन्द कर लिये गये तब रिश्तेदार एवं अन्य लोगों के सहयोग से अमित राठौर व अपने भाई विशाल को कार से लोहिया अस्पताल ले गये जहां अमित राठौर को मृतक घोषित कर दिया गया तथा विशाल वर्मा को भर्ती कर लिया गया, वहां से रिफर कराकर विशाल वर्मा को डा० सुबोध वर्मा के यहां भर्ती कराया। उसके उपरांत लोहिया अस्पताल में ही सोनू वर्मा को बोलकर तहरीर लिखवायी थी। इस मामले में पी०डब्लू7 शानू को परीक्षित कराया गया है जिसने इस मामले में तहरीर प्रदर्श क–1 लिखी थी जिसने साक्ष्य में स्वीकार किया है कि बाबी वर्मा ने तहरीर बोल बोल कर लिखायी थी तब उसने लिखी थी, उसने तहरीर पढ़कर

वादी को सुनायी थी तब वादी ने अपने हस्ताक्षर बनाये थे। पी०डब्लू1 वादी ने जिरह साक्ष्य में यह भी स्वीकार किया है कि हिम्मत करकके अपने भाई विशाल वर्मा की दुकान की तरफ गया जहां पर उसको घायल देखा था तथा अमित राठौर को मरणासन्त हालत में देखा था दोनों की प्राण रक्षा हेतु स्थानीय लोगों के सहयोग से लोहिया अस्पताल ले गया था। इस प्रकार पी०डब्लू7 तथा वादी पी०डब्लू1 के इन कथनों से स्पष्ट होता है कि सर्वप्रथम वादी, मृतक अमित राठौर एवं अपने भाई को प्राण रक्षा हेतु इलाज के लिए ले गया एवं उसके उपरांत उसने तहरीर लिखाकर थाने पर दी इससे तहरीर घटना के लगभग चार घंटे बाद थाने पर दर्ज की गयी जिसमें विलम्ब नहीं कहा जा सकता क्योंकि इतनी प्रक्रिया में इतना समय लगना स्वाभाविक है। यहां पर यह भी उल्लेखनीय है कि पी०डब्लू2 सुमित कुमार जो कि मृतक अमित राठौर का भाई है, ने भी एक तहरीर प्रदर्श क–2 थाना पर दी थी एवं इस संबंध में मुख्य परीक्षा में ही सुमित ने कहा है कि अपने भाई के दाह संस्कार के बाद कुछ लोगों ने उससे कहा कि डा० विशाल ने मुकदमा लिखा दिया है तुम भी लिखा दो तब दिनांक 06.10.2016 को सुमित ने अनिल सिंह से तहरीर बोल बोल कर लिखाकर थाना पर दी थी एवं सुमित ने उक्त तहरीर पर अपने हस्ताक्षर की तस्दीक की है।

28– अब यह देखना है कि इस मामले में अभियोजन अपने केस को सन्देह के परे साबित करने में सफल रहा है अथवा नहीं। यहां पर बचाव पक्ष द्वारा वादी की पहचान पर सन्देह व्यक्त करते हुए कहा गया है कि तहरीर बाबी के नाम से लिखायी गयी है जबकि न्यायालय के समक्ष शशिकान्त वर्मा उर्फ बाबी परीक्षित हुआ है। इस संबंध में पी०डब्लू1 ने जिरह साक्ष्य में कहा है कि "मेरा सही नाम बाबी वर्मा है, मैंने इस घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट में अपना नाम शशिकान्त वर्मा नहीं लिखाया था तथा मैंने दरोगा जी को बयान देते समय भी अपना नाम शशिकान्त वर्मा नहीं बताया था, शशिकान्त वर्मा के नाम से मेरे पास आधार कार्ड व वोटरकार्ड है...........बाबी वर्मा के नाम से मेरे पास कोई आधार कार्ड वोटरकार्ड एवं पैन कार्ड नहीं है। यह सही है कि सामान्य लिखापढ़ी में बाबी वर्मा के नाम से करता हूँ।.........न्यायालय में बयान देते समय पहली बार मैंने अपना नाम शशिकान्त वर्मा बताया था इससे पूर्व इस मुकदमें के संबंध में कहीं भी शशिकान्त वर्मा का नाम नहीं आया है। यह कहना गलत है कि शशिकान्त वर्मा मेरे भाई हों और मैं बाबी वर्मा हूँ। यह कहना गलत है कि न्यायालय में झूठा नाम शशिकान्त वर्मा बताकर गवाही देने आया हूँ एवं गवाही दे रहा हूँ। बाबी वर्मा के नाम से मेरा कोई बैंक एकाउन्ट नहीं है।" इस साक्षी की इस स्वीकारोक्ति से यह स्पष्ट हो जाता है कि यही साक्षी वादी वाबी वर्मा है। वैसे भी सामान्यतया एक व्यक्ति के दो नाम हो सकते हैं एक तो वह जो लिखा पढ़ी में अभिलेख पर रहता है एवं दूसरा नाम टेरा नाम होता है जो सामान्य बोलचाल में आसपास के लोग एवं नाते रिश्तेदार प्रयोग में लाते हैं। यहां पर वादी ने स्पष्ट कहा है कि उसके पास शशिकान्त वर्मा के नाम का आधार कार्ड एवं वोटरकार्ड है तथा उसको बाबी वर्मा के नाम से लोग सामान्यतया जानते हैं एवं वही नाम वह

प्रयोग करता है। अतः इस साक्षी की पहचान सन्देहास्पद नहीं है। इस स्तर पर बचाव पक्ष द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि इस साक्षी ने अभियुक्त मनमोहन दास बाबा का नाम गोली मारने वालों में नहीं बताया है एवं कहा है कि मैंने अपने भाई व अमित राठौर को गोली मारते मनमोहन दास बाबा को नहीं देखा। इसलिए इस साक्षी की साक्ष्य से अभियोजन का केस खत्म हो जाता है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत मामले में पी०डब्लू1 शशिकान्त वर्मा उर्फ बाबी वर्मा ने अपनी मुख्य परीक्षा साक्ष्य में अभियोजन कथानक का पूर्ण समर्थन करते हुए तहरीर को प्रदर्श क–1 के रूप में साबित किया है जबकि अभियोजन द्वारा की गयी जिरह में इस साक्षी ने कथन किया है कि "यह बात सही है कि बाबा मोहनदास से लोग डरते भी हैं यह आपराधिक किस्म का आदमी है। यह बात भी सही है कि जब से यह केस हुआ है तब से मैं व मेरा भाई विशाल वर्मा भी बाबा मनमोहन दास से डर गये। यह बात भी सही है कि मैं बाबा के डर के कारण कुछ बातें सही सही नहीं बता पाया।" इस प्रकार इस साक्षी वादी की साक्ष्य में कहे गये कथनों से स्पष्ट है कि अभियुक्त बाबा मनमोहन दास के डर के कारण उसके द्वारा जिरह में कहीं कहीं सही कथन नहीं किये गये हैं। इस साक्षी द्वारा जिरह में किये गये उक्त कथनों से इस साक्षी की सम्पूर्ण साक्ष्य अविश्वसनीय नहीं हो जाती है। बल्कि इसकी सम्पूर्ण साक्ष्य से यह साबित हो जाता है कि घटना स्थल पर गोलियां चलायीं गयीं थीं जिससे उसका भाई विशाल वर्मा घायल हो गया था तथा अमित राठौर की गोलियां लगने से मौत हो गयी थी।

29– पी०डब्लू2 सुमित कुमार इस मामले में मृतक अमित राठौर का सगा भाई है जिसने मुख्य परीक्षा में अभियोजन का पूर्ण समर्थन किया है एवं इसको अभियोजन द्वारा चक्षुदर्शी साक्षी बताया गया है। इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में भी अभियोजन कथानक का भरपूर समर्थन किया है। इस स्तर पर बचाव पक्ष द्वारा तर्क दिया गया है कि यह साक्षी मौके पर मौजूद नहीं था क्योंकि यदि यह मौके पर मौजूद होता तो इसके द्वारा मुकदमा अवश्य लिखाया जाता क्योंकि इस मामले में इस साक्षी के सगे भाई की गोली लगने से मृत्यु हुयी है। इस संबंध में पी०डब्लू2 की सम्पूर्ण साक्ष्य के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मुख्य परीक्षा में ही इसने कहा है कि अपने भाई के दाह संस्कार के बाद कुछ लोगों ने उससे कहा कि डा० विशाल ने मुकदमा लिखा दिया है तुम भी लिखा दो तब दिनांक 06.10.2016 को सुमित ने अनिल सिंह से तहरीर बोल बोल कर लिखाकर थाना पर दी थी एवं सुमित ने उक्त तहरीर पर अपने हस्ताक्षर की तस्दीक की है। पत्रावली पर उक्त तहरीर प्रदर्श क–2 के रूप में उपलब्ध है जिसमें पी०डब्लू2 ने अंकित कराया है कि "दिनांक 03.10.2016 को सायं करीब 4 बजे अपने भाई अमित राठौर के पास श्री राम जानकी मन्दिर जसमई स्थिर मोटरसाइकिल मरम्मत की दुकान जिस पर मेरा भाई अमित राठौर मैकेनिक का काम करता है गया था उसी समय बाबा मनमोहन दास पुत्र अवधेश कुमार दास मूल निवासी ग्राम ककियुली थाना नबावगंज जनपद फर्रुखाबाद हाल पता श्री रामजानकी मन्दिर जसमई थाना मऊदरवाजा

जनपद फर्रुखाबाद अचानक मन्दिर से निकल कर आया और मेरे छोटे भाई अमित राठौर से गाली गलौज करने लगा मेरे भाई ने मना किया तो हाथ में लिए अधिया (तमंचा) से मेरे भाई के सिर में गोली मार दी पास की दुकान में अपने क्लीनिक पर बैठे डा० विशाल वर्मा तथा मौके पर मौजूद अन्य लोगों ने बाबा को ललकारा तो बाबा मनमोहन दास ने डा० विशाल वर्मा के भी सीने में गोली मार दी जिससे अफरा तफरी मच गयी हम लोगों ने बाबा को पकड़ने का प्रयास किया तो वह गोलियाँ चलाते हुए मन्दिर के पीछे से भाग गया बाबा द्वारा मेरे भाई तथा डा० विशाल वर्मा पर जान से मारने की नीयत से गोली मारी गयी है।" पी०डब्लू2 द्वारा दी गयी इस तहरीर से स्पष्ट होता है कि इसने भी मुकदमा दर्ज कराने हेतु तहरीर थाने पर घटना के तीन दिन के अन्दर ही दाह संस्कार से निवृत्त हो कर दी थी लेकिन वादी पी०डब्लू1 की तहरीर पर पहले ही मुकदमा दर्ज हो गया था इसलिए पी०डब्लू2 की तहरीर पर एक ही घटना के बाबत दूसरा मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। इसलिए बचाव पक्ष का यह तर्क खण्डित हो जाता है कि मृतक के भाई ने मुकदमा दर्ज नहीं कराया एवं न ही मुकदमा दर्ज कराने का प्रयास किया एवं पी०डब्लू2 चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है। पी०डब्लू 2 सुमित ने बचाव पक्ष द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में कहा है कि "मेरा घर घटना स्थल से लगभग डेढ़ किमी दूर पर स्थित है। यह दूरी दो ढाई किलोमीटर बिल्कुल नहीं होगी। घटना वाले दिन मैं घर से तीन बज कर चालीस मिनट पर घर से निकला था ये समय मैं अन्दाज से बता रहा हूँ मैंने घड़ी नहीं बांधी थी और न ही मैं घड़ी बांधता हूँ।.......... मैं घर से अकेला निकला था घर से निकल कर मैं सीधा दुकान पैदल गया था रास्ते में कोई जाम नहीं था। बारिश भी नहीं हो रही थी। मैं भाई मृतक अमित राठौर की दुकान रामजानकी मन्दिर जसमई दरवाजे पर है.......मेरे भाई की दुकान का दरवाजा पूरव के सामने है दुकान के सामने पूरब तरफ खाली प्लाट पड़े हैं...... दक्षिण तरफ डा. विशाल वर्मा की दुकान है, दुकान के पश्चिम में मन्दिर की जगह पड़ी हुयी है जिसमें चारों तरफ मन्दिर की बाउन्ड्री जिसमें बाबा लोग रहते हैं। दुकान के उत्तर तरफ भी दुकाने बनी हुयी हैं। दुकानों के ठीक उत्तर तरफ की दुकान उस समय खाली पड़ी हुयी थीं।.....उत्तर वाली दुकान का शटर बन्द था।" इस प्रकार इस साक्षी ने घटना स्थल का हूबहू वही वर्णन किया है जो विवेचक ने नक्शा नजरी में किया है। नक्शा नजरी में मृतक अमित राठौर के उत्तर तरफ की दुकानें बन्द दर्शित हैं एवं उसके दक्षिण में डा० विशाल वर्मा की दुकान दर्शित की गयी है तथा दुकान के पीछे मन्दिर का परिसर है जिसमें बाउन्ड्री बनी हुयी है। इससे स्पष्ट दर्शित होता है कि यह साक्षी घटना का चक्षुदर्शी साक्षी है जो कि घटना का पूरा वृतान्त न्यायालय के समक्ष बता रहा है एवं स्पष्ट कथन कर रहा है कि बाबा मनमोहन दास ने उसके भाई के सिर में गोली मारी जिससे उसकी मौत हो गयी। जिरह में पी०डब्लू२ ने यह भी कहा है कि "जिस समय मेरे भाई के गोली लगी उस समय मैं अपने भाई से दस पन्द्रह कदम की दूरी पर था। पन्द्रह कदम मतलब 25 फुट है, यह मैं नहीं बता सकता हूँ। मुल्जिम ने मेरे भाई को एक या डेढ़ फुट से गोली मारी थी। ....मुल्जिम अकेला था। मेरा भाई

मुल्जिम की तरफ पीठ किये खड़ा था तब मुल्जिम ने पीछे से गोली मारी। मुल्जिम ने मेरे भाई के सिर में बीचों बीच गोली मारी थी। मेरे भाई की कुछ सांसे चल रही थीं.........मैंने मुल्जिम को पकड़ने का प्रयास किया था। मुल्जिम भाग गया।.......मेरे अलावा घटनास्थल पर शशिकान्त वर्मा बैठे थे और आने जाने वाले लोग थे।" इस प्रकार पी०डब्लू2 की साक्ष्य से स्पष्ट है कि मृतक को अभियुक्त मोहनदास बाबा द्वारा एकदम नजदीक से गोली मारी गयी जो कि इस साक्षी के अनुसार लगभग डेढ़ फीट बतायी गयी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मृतक अमित राठौर के सिर में ही गोली लगना पाया गया है। पोस्टमार्टम चिकित्सक पी०डब्लू4 ने भी कहा है कि मृतक के 15X1 सेमी गहराई दिमाग के अन्दरूनी हिस्से तक गोली के घुसने का घाव सर के पीछे दाहिनी ओर जिसके किनारे अन्दर की ओर मुड़े हुए थे, कालिमा लिये हुए थे, तथा फटा हुआ था। जख्म के चारों ओर टैटूइंग मौजूद थी। जिसका टोटल एरिया 5X4 सेमी था। आगे पोस्टमार्टम चिकित्सक ने जिरह में कहा है कि "गोली यदि चार से पांच फीट कीर दूरी से मारी जाये तो घाव के चारों तरफ कालिमा बनती है। यदि इससे ज्यादा दूरी से गोली मारी जाये तो कालिमा दिखने के आसार कम होते हैं। टैटूइंग भी करीब से चार से पांच फीट की दूरी से गोली मारे जाने पर आना संभव है।" इस प्रकार मृतक के गोली घुसने के घाव में टैटूइंग मौजूद होना यह प्रमाणित करता है कि मृतक को अभियुक्त द्वारा लगभग तीन चार फुट की दूरी से गोली मारी गयी। इसके अतिरिक्त पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक के गोली घुसने के घाव पर ब्लेकनिंग होना भी दर्शित है जिससे यह और भी प्रमाणित हो जाता है कि लगभग तीन से चार फुट की दूरी से गोली मारी गयी थी। अतः पी०डब्लू2 इस मामले में घटना का चक्षुदर्शी साक्षी है एवं इसकी साक्ष्य से अभियोजन को बल प्राप्त होता है। जहां तक पी०डब्लू2 द्वारा डेढ़ फीट की दूरी से गोली मारे जाने का कथन करने का संबंध है, यह उल्लेखनीय है कि जो भी व्यक्ति पचीस फुट की दूरी से घटना देखता है तो किसी को गोली मारे जाने की दूरी में इतना अन्तर आना स्वाभाविक है।

30– इस स्तर पर बचाव पक्ष ने यह भी तर्क दिया है कि पी०डब्लू2 मृतक का सगा भाई है इसलिए वह हितबद्ध साक्षी हैं एवं इसकी साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था **Dhari & Others Vs State of UP, AIR 2013 SC 308, Shyam Babu Vs State of UP, AIR 2012 SC 3311, Jayabalan Vs U.T. of Pondicherri, 2010(6) SCJ 662** में एवं अन्य विभिन्न विधि व्यवस्थाओं में यह मत प्रतिपादित किया गया है कि हितबद्ध साक्षियों की साक्ष्य को एकसिरे से नकारा नहीं जा सकता, यदि उनकी साक्ष्य विश्वसनीय है तो उन पर भरोसा किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपनी विधि व्यवस्था **आन्ध्र प्रदेश राज्य बनाम एस० रायप्पा व अन्य** 2006(4)**S.C.C. 512,** ब्रहमस्वरूप बनाम उ०प्र०राज्य **2011 Cr.L.J. 306,** अनिल शर्मा एवं अन्य बनाम स्टेट आफ झारखण्ड **2004(5) SCC 679,** सलीम साहब बनाम एम०पी० राज्य **2007(1)SCC 699** आदि मामलों में हितबद्ध साक्षी तथा उसके साक्ष्य की महत्वता तथा उसके मूल्यांकन की

बाबत विस्तृत रूप से पथ प्रदर्शक सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं तथा यह स्पष्ट रूप से कहा है कि एक निकट संबंधी साक्षी जो साक्ष्य देता है उसे पक्षपाती नहीं माना जा सकता। मृतक अथवा घायल का संबंधी गवाह असल मुल्जिम को छोड़कर अन्य को झूठा फंसायेगा, इसके लिए उनको अत्यन्त मजबूत कारण चाहिए। **अशोक कुमार चौधरी बनाम बिहार राज्य 2008(61) ACC 972 में माननीय उच्चतम न्यायालय** ने यह स्पष्ट मत व्यक्त किया है कि साक्षी की साक्ष्य आहत व्यक्ति के पारिवारिक सदस्य या निकट संबंधी होने के आधार मात्र से तिरस्कृत नहीं किया जा सकता है। प्रस्तुत मामले में मृतक के भाई ने सटीक साक्ष्य दिया है एवं उस पर विश्वास किया जा रहा है।

31– पी०डब्लू5 अनिल सिंह को अभियोजन ने परीक्षित कराया है जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का पूर्णतया समर्थन किया है एवं यह वही साक्षी है जिसने पी०डब्लू2 सुमित कुमार के कहने पर एवं शब्द व शब्द बोलने पर दिनांक 06.10.2016 को तहरीर लिखी थी। इस साक्षी ने कहा है कि घटना के समय वह चाय की दुकान जसमई तिराहे पर चाय पी रहा था तब उसने घटना देखी कि बाबा मनमोहन दास अधिया तमंचा लेकर मन्दिर से बाहर निकला एवं मोहल्ले के अमित राठौर जो दुकान पर मोटरसाइकिल ठीक कर रहा था, अचानक गालीगलौज करते हुए उसके सिर में गोली मार दी। बचाने आये लोगों में से डा० विशाल वर्मा को भी गोली मार दी। इस साक्षी ने तहरीर प्रदर्श क–2 को अपने हस्तलेख में लिखना साबित किया है। जिरह में इस साक्षी ने कहा है कि "मैंने बाबा मनमोहन दास को गेट से निकलते व हाथ में अधिया तमंचा लिए हुए देखा था जो गाली देते हुए अमित राठौर के पास पहुँचा, उसने अमित राठौर को पीछे से गोली मार दी। अमित राठौर का मुंह किस दिशा में था इस समय याद नहीं आ रहा है। ....बाबा ने अमित राठौर को बिल्कुल सटा कर फिर कहा कि पास से ही एक आध फुट की दूरी से गोली मारी। बाबा जब गेट से गाली देते हुए निकला तब किसी का नाम नहीं ले रहा था, गाली दे रहा था। बाबा जब गाली देते हुए निकला और तुरन्त गोली मार दी। बाबा को गाली देते एवं गोली मारने के बीच में जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक गोली मार दी। कोई समझ ही नहीं पाया कि बाबा क्या करने जा रहा है। मैंने बाबा को लगभग बीस पचीस फीट की दूरी से गोली मारते देखा। अमित के गोली लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। लोगों ने बाबा को रोकने व पकड़ने की कोशिश की इतने में बाबा ने दूसरा फायर डा० विशाल वर्मा को मारकर मन्दिर के पीछे से भाग गया।" आगे जिरह में इस साक्षी ने कहा है कि "मृतक अमित के किसी परिचित ने घटना वाले दिन मुकदमा लिखाये जाने के लिए कोई तहरीर मुझसे नहीं लिखायी थी। मुझसे तहरीर दिनांक 06.10.2016 को लिखायी थी........मुझसे तहरीर लिखाने सुमित आया था।" इस प्रकार इस साक्षी ने जिरह में भी अभियोजन कथानक का समर्थन किया है एवं इस साक्षी ने भी पी०डब्लू2 की भांति ही साक्ष्य दिया है। इस प्रकार इस साक्षी द्वारा जिरह में ऐसा कोई प्रतिकूल कथन नहीं किया जिससे अभियोजन कथानक सन्देहास्पद हो

जाता हो।

32– पी०डब्लू6 विशाल वर्मा को अभियोजन ने परीक्षित कराया है जिसने मुख्य परीक्षा में अभियोजन का समर्थन नहीं किया है किन्तु यह स्वीकार किया है कि घटना स्थल पर उसको भी गोली लगी थी। जैसा कि पी०डब्लू1 वादी ने जिरह में स्वीकार किया है कि यह बात सही है कि बाबा मोहनदास से लोग डरते भी हैं यह आपराधिक किस्म का आदमी है। यह बात भी सही है कि जब से यह केस हुआ है तब से मैं व मेरा भाई विशाल वर्मा भी बाबा मनमोहन दास से डर गये। यह बात भी सही है कि मैं बाबा के डर के कारण कुछ बातें सही सही नहीं बता पाया।" इस प्रकार इस साक्षी वादी की साक्ष्य में कहे गये कथनों से स्पष्ट है कि चुटैल साक्षी पी०डब्लू6 विशाल वर्मा भी इसीलिए डर के कारण जानबूझकर अभियुक्त मोहनदास बाबा का नाम गोली मारने वालें में नहीं ले रहा है। यद्यपि इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया है तथापि इसकी साक्ष्य से यह स्वीकृत तथ्य है कि जब अमित राठौर को गोली मारी गयी तब इसके भी गोली मारी गयी। इसका तात्पर्य यही है कि यह साक्षी घटना स्थल पर मौजूद था एवं उसने पूरी घटना अपनी आंखों से देखी थी किन्तु अभियुक्त के डर व दबाब के कारण यह सही बात न्यायालय के समक्ष नहीं कह रहा है। वैसे भी यह साक्षी घटना के करीब 33 माह बाद न्यायालय के समक्ष बयान दे रहा है इस मध्य अभियुक्त द्वारा साक्षी को डराये धमकाये जाने से इन्कार नहीं किया जा सकता।

33– माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा बलाका सिंह बनाम पंजाब राज्य AIR 1975 SC 1962, उगर अहीर बनाम बिहार राज्य AIR 1965 SC 277, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम शंकर AIR 1981 SC 897, कुलविन्दर बनाम पंजाब राज्य AIR 2007 SC 2868 के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि **'फाल्सस इन यूनो, फाल्सस इन ओमनीवस'** अर्थात एक बात में झूठ तो सब बातों में झूठ का सिद्धान्त भारत में लागू नहीं होता है। जहां तक ऐसे साक्षी का साक्ष्य सत्य प्रतीत हो तो उस पर विश्वास किया जाना चाहिए और पक्षद्रोही साक्षी की साक्ष्य से सत्यता उसी प्रकार से प्राप्त करनी चाहिए जैसे कि भूसे से गेहूं के दानों को पृथक किया जाता है। अतः प्रस्तुत मामले में पी०डब्लू1 वादी शशिकान्त वर्मा एवं पी०डब्लू6 विशाल वर्मा की साक्ष्य का सावधानीपूर्वक परिशीलन से स्पष्ट है कि उनके साक्ष्य को एकदम से नकारा नहीं जा सकता बल्कि उसमें जो घटना की सच्चाई निकल कर आ रही है, उसको साक्ष्य में ग्रहण किया जा रहा है एवं उससे अभियोजन को बल प्राप्त हो रहा है।

34– इस मामले में अभियुक्त ने बयान धारा 313 दं०प्र०सं० में यह कहा है कि वादी, मृतक व घायल व उसके परिजन रामजानकी मन्दिर जसमई दरवाजे पर बनी दुकानों पर काबिज थे जिनका वह किराया नहीं दे रहे थे, किराया मांगने पर विवाद करके दिनांक 01.10.2016 को उसे भगा दिया था। इस प्रकार स्वयं अभियुक्त के द्वारा ही कथन किया गया है कि इस मामले में किराया देने अथवा न देने का हेतुक है। अभियोजन द्वारा भी इसी हेतुक का उल्लेख किया गया है तथा विवेचक ने भी इसी हेतुक का उल्लेख सम्पूर्ण विवेचना में

किया है। इस प्रकार इस मामले में मृतक, वादी एवं घायल व उनके परिजनों से यही रंजिश थी। अभियोजन के साक्षियों ने सम्पूर्ण साक्ष्य में इस तथ्य पर बल दिया है कि रामजानकी मन्दिर के महन्त राघवदास थे एवं वह मन्दिर में ही रहा करते थे वही किराया प्राप्त करते थे तथा मन्दिर का प्रबन्धन संभालते थे। पी०डब्लू1 वादी ने जिरह में स्पष्ट कहा है कि मनमोहन दास मन्दिर के महन्त नहीं हैं जो महन्त जी हैं उनकी उम्र 60–65 साल है। इसलिए यह सन्देह के परे साबित होता है कि अभियुक्त मनमोहन दास बाबा जबरन मन्दिर की दुकानों का किराया वसूल करता था एवं किरायेदार किराया देने में आनाकानी करते थे जिससे क्षुब्ध हो कर अभियुक्त द्वारा यह आपराधिक कृत्य करते हुए मृतक अमित राठौर को गोली मार कर हत्या कर दी गयी एवं दूसरे किरायेदार डा० विशाल वर्मा को भी गोली मार कर घायल कर दिया गया। इससे अभियोजन द्वारा इस मामले के हेतुक को सन्देह के परे साबित किया गया है।

35– इस मामले में अभियुक्त मनमोहन दास बाबा पर धारा 3/25/27 का भी आरोप विरचित किया गया है। पत्रावली पर फर्द बरामदगी प्रदर्श क–15 एक अदद अधिया बन्दूक व दो अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर उपलब्ध है जिसमें अंकित है कि थानाध्यक्ष/विवेचक सुनील कुमार यादव मय हमराहियान उपनिरीक्षक हरपाल सिंह आदि के दिनांक 04.10.2016 को थाना से रवाना हो कर क्षेत्र रायपुर/बजरिया में मामूर थे कि जरिये मुखबिर सूचना मिलने पर समय करीब 14.20 बजे अभियुक्त मनमोहन दास बाबा को गुतासी की तरफ बघार नाला पुलिया पर एक अधिया बन्दूक 315 बोर जिसमें एक खोखा कारतूस फंसा है व दो जिन्दा कारतूस 315 के साथ गिरफतार किया गया। फर्द बरामदगी व गिरफतारी प्रदर्श क–15 में यह भी अंकित है कि बरामदगी से पूर्व राह से आने जाने वाले व्यक्तियों से किो मकसद बता कर गवाही के लिए कहा गया तो कोई तैयार नहीं हुआ एवं बिना नाम पता बताये चले गये। विवेचक द्वारा अभियुक्त से पूछने पर उसने बताया कि इसी अधिया से अमित राठौर की हत्या व डा०विशाल वर्मा को घायल किया था। इस फर्द बरामदगी पर विवेचक एवं हमराहियान के हस्ताक्षर हैं तथा अभियुक्त के भी हस्ताक्षर हैं। विवेचक पी०डब्लू10 सुनील कुमार यादव ने न्यायालय के समक्ष प्रतिपरीक्षा में कहा है कि "अभियुक्त को पुलिया के बीच पकड़ा था वह असलाह अधिया 315 बोर हाथ में पकड़े था।.........हम लोगों ने मुल्जिम को रोका तो मुल्जिम ने एकदम से वापस मुड़ा, भागने का प्रयास किया। एकबारगी दविश दे कर पकड़ लिया...........फर्द पर हस्ताक्षर मौके पर ही बनाये थे, फर्द कागज सं० 4A/5 उपनिरीक्षक हरपाल सिंह के हस्तलेख में लिखी हुयी है। पकड़ा गया माल मौके पर ही सील मोहर किया गया।" इस प्रकार विवेचक की उपरोक्त साक्ष्य एवं फर्द बरामदगी से अभियुक्त मनमोहन दास बाबा के कब्जे से आला कत्ल अधिया तमंचा व जिन्दा कारतूस 315 बोर की बरामदगी सन्देह के परे साबित होती है। बचाव पक्ष द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि न्यायालय के समक्ष जब सील मोहर बंडल खोला गया तो उसमें निकले अधिया तमंचे की नाल से कोई

खोखा कारतूस नहीं निकला जबकि विवेचक ने उक्त अधिया तमंचा में खोखा कारतूस वरवक्त बरामदगी फंसा पाया था इसलिए अभियोजन कथानक पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि इस साक्षी/विवेचक पी०डब्लू10 सुनील कुमार यादन ने यह बयान दिनांक 04.07.2025 को न्यायालय के समक्ष अंकित कराया है कि एक अदइ अधिया निकली जिसे खोलकर देखा गया तो उसकी नाल में कोई खोखा कारतूस मौजूदा समय में नहीं निकला। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि उक्त बरामद माल को पूर्व में ही सील मोहर बण्डल में विधि विज्ञान प्रयोगशाला परीक्षणार्थ भेज दिया गया था जिसकी रिपोर्ट पत्रावली पर दिनांकित 06.12.2018 प्रदर्श क–29A है जिसमें अंकित है कि प्रश्नगत सर्वमुहर बण्डल को खोलने पर उसमें से एक देशी पिस्तौल एवं पिस्तौल की नाल से एक 315 बोर का चला कारतूस एवं दो जिन्दा कारतूस साथ में प्राप्त हुए। इससे यह स्पष्ट साबित हो जाता है कि बरामदशुदा अधिया तमंचे की नाल में तत्समय खोखा कारतूस फंसा हुआ था एवं विधि विज्ञान प्रयोगशाला में उक्त बण्डल से उक्त सामान विधिवत प्राप्त हुआ था जैसा कि बरामदगी करने के उपरांत विवेचक द्वारा भेजा गया था किन्तु माल वापसी के समय उक्त तमंचा व उसमें फंसा खोखा कारतूस को अलग से रख दिया गया। अतः बचाव पक्ष के इस तर्क में भी बल नहीं है। इस स्तर पर बचाव पक्ष द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि बरामदगी के समय किसी जनता के साक्षी के हस्ताक्षर नहीं कराये गये अर्थात जनता का साक्षी नहीं है तथा वरवक्त बरामदगी विवेचक ने पृथक से अभियुक्त का स्टेटमेंट अंकित नहीं किया है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि फर्द बरामदगी में ही अभियुक्त से पूछताछ करने एवं उसके बयान देने का तस्करा विवेचक ने किया है एवं बरामदगी के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था **Praveen Kumar Vs State of Karnataka,2003(47) ACC 1099 (SC)** महत्वपूर्ण है जिस में यह मत प्रतिपादित किया गया है कि Section 27 does not lay down that the statement made to a Police Officer should always be in the presence of independent witnesses. Normally in cases where the evidence led by the prosecution as to a fact depends solely on the Police witnesses, the courts seek corroboration as a matter of caution and not as matter of a rule. Thus it is only a rule of prudence which makes the courts to seek corroboration from independent source, in such cases where the court is satisfied that the evidence of the police can be independently relied upon then in such cases there is no prohibition in law that the same cannot be accepted without independent corroboration. न्यायालय के समक्ष विवेचक पी०डब्लू10 ने स्वयं अभियुक्त से आला कत्ल अधिया तमंचा 315 बोर मय उसमें फंसा खोखा कारतूस व दो जिन्दा कारतूस बरामद होने का कथन किया है एवं फर्द बरामदगी आला कत्ल प्रदर्श क 15 में विवरण अंकित किया है एवं न्यायालय के समक्ष भी साक्ष्य दिया है। इस प्रकार उक्त विधि व्यवस्था के प्रकाश में भी फर्द बरामदगी में कोई सन्देह नहीं है एवं अभियुक्तों से आला कत्ल की बरामदगी सन्देह के परे

साबित होती है।

36– इस मामले में अभियुक्त से बरामद आला कत्ल अधिया तमंचा व खोखा कारतूस व जिन्दा कारतूसों तथा मृतक के शरीर से प्राप्त दो विकृत बुलेट एवं मजरूब विशाल वर्मा के सीने से प्राप्त बुलेट को विधि विज्ञान प्रयोग शाला परीक्षण हेतु भेजा गया है। विवेचक द्वारा घटना स्थल से भी घटना में प्रयुक्त खोखा कारतूस कब्जे में लिये गये हैं एवं उनको भी परीक्षण हेतु साथ में भेजा गया है। पत्रावली पर उपलब्ध एफ०एस०एल० रिपोर्ट प्रदर्श क–29A से विदित है कि अधिया तमंचा को 01/2018 से, उसकी नाल में फंसे चले कारतूस को चिन्ह EC–1 से व जिन्दा कारतूसों को LC–, LC–2 से चिन्हित किया गया है। दूसरे बण्डल से प्राप्त तीन अदद खोखा कारतूसों 315 बोर को चिन्ह EC–2, EC–3, EC–4 से चिन्हित किया गया। लिफाफा से प्राप्त 315 बोर की चली एक बुलेट की जैकिट व एक बुलेट का विकृत लैड–कोर प्राप्त हुआ जिसमें बुलेट की जैकिट को J–1 एवं लेड कोर को L–1 से चिन्हित किया गया। एक बण्डल जिसमें मजरूब विशाल वर्मा के शरीर से आपरेशन के दौरान निकली बुलेट आदि लिखा है उसमें से एक प्लास्टिक की डिब्बी से एक 315 बोर की चली विकृत बुलेट (जिसमें से लेड कोर आधा बाहर निकल रहा है), प्राप्त हुयी जिसे चिन्ह EB–1 से चिन्हित किया गया। प्रयोगशाला में 315 बोर के दो कारतूस प्रयोगार्थ चलाये गये जिन्हें TC–1, TC–2 से चिन्हित किया गया एवं इनकी बुलेट को TB1,TB–2 से चिन्हित किया गया। परीक्षणों उपरांत परिणाम ज्ञात हुआ कि EC–1, EC–2, EC–3 , EC–4 पर जो फायरिंग पिन, ब्रीच व चैम्बर के चिन्ह उपस्थित हैं वह परीक्षणार्थ चलाये गये कारतूसों TC–1, TC–2 पर उपस्थित फायरिंग पिन, ब्रीच व चैम्बर के चिन्हों के समान हैं। इसी प्रकार परीक्षणोंपरांत प्राप्त कारतूस के बुलेट TB1,TB–2 पर उपस्थित चिन्ह, 315 बोर की बुलेट EB–1 एवं 315 बोर की चली बुलेट की जैकिट चिन्हित J–1 पर उपस्थित Striations चिन्ह की व्यक्तिगत विशेषताओं में समान हैं। इस प्रकार विधि विज्ञान प्रयोगशाला की परिणाम रिपोर्ट के अनुसार घटनास्थल से बरामद समस्त खोखा कारतूस, बरामद शुदा प्रश्नगत देशी पिस्तौल से ही चलाये गये हैं एवं मजरूब विशाल वर्मा के शरीर से प्राप्त बुलेट एवं मृतक अमित राठौर के शरीर से प्राप्त बुलेट इसी बरामदशुदा देशी पिस्तौल से चलायी गयी है। इस प्रकार विधि विज्ञान प्रयोगशाला की आख्या के प्रकाश में सन्देह से परे यह साबित होता है कि अभियुक्त से बरामद आला कत्ल अधिया तमंचा 315 बोर से ही मृतक अमित राठौर को जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गयी एवं चुटैल डा० विशाल वर्मा को जान से मारने की नीयत से गोली मारी गयी। इस मामले में आला कत्ल अधिया तमंचा 315 बोर की बरामदगी सन्देह के परे साबित हो चुकी है।

37– इस स्तर पर बचाव पक्ष द्वारा पुरजोर तर्क दिया गया है कि मृतक अमित राठौर के सिर में से दो गोली पीले रंग की एवं काले रंग की अर्थात बुलेट बरामद हुयी हैं एवं मामले में मृतक को एक ही गोली मारने का कथन किया गया है तथा पोस्टमार्टम चिकित्सक

पी०डब्लू4 डा० निरंजन द्वारा भी अपने साक्ष्य में दो बुलेट मृतक के मस्तिष्क में पाये जाने व उन्हें निकाले जाने का साक्ष्य दिया गया है जिससे अभियोजन कथानक सन्देहास्पद हो जाता है किन्तु बचाव पक्ष के इस तर्क में कोई बल नहीं है क्योंकि मृतक अमित राठौर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क–3 में फायर आर्म्स का केवल एक इन्ट्री बून्ड होना दर्शाया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक के मस्तिष्क से प्राप्त विकृत मैटेलिक पीले रंग का एक बुलेट तथा एक विकृत मैटेलिक काले रंग का एक बुलेट दर्शाया गया है। पी०डब्लू4 डा० निरंजन ने भी विकृत आकार का पीले रंग का एक बुलेट तथा विकृत आकार का काला रंग का एक बुलेट बरामद होने का कथन किया है, यदि दो गोली चलायी गयीं होतीं तो या तो दोनों पीले रंग की होती या दोनों काले रंग की होती इसलिए यह प्रबल संभावना है कि गोली जब मृतक के सिर की आक्सीपिटल हडडी से टकरायी तो गोली का ऊपरी पीले रंग का लेड अंश अर्थात ऊपरी भाग हडडी में घुसते समय पृथक हो गया इसलिए उसका रंग पीला है एवं गोली का जो दूसरा भाग पृथक हुआ उसका रंग काला है। यदि दो गोली मारी गयीं होतीं तो मृतक के सिर में दो इन्ट्री बून्ड होते। विधि विज्ञान प्रयोगशाला में भी मृतक अमित राठौर के शरीर से प्राप्त बुलेट को लेड कोर एवं उसी बुलेट के दूसरे भाग को बुलेट की जैकिट बताया गया है।

38– इस स्तर पर अभियुक्त की तरफ से यह भी तर्क दिया गया है कि वह घटनास्थल पर उपस्थित नहीं था किन्तु इस संबंध में अभियुक्त द्वारा न तो कोई मौखिक साक्ष्य पेश किया गया है एवं न ही किसी अभिलेखीय साक्ष्य द्वारा साबित करने का प्रयास किया गया है कि घटना के समय अभियुक्त घटनास्थल पर न हो कर अन्यत्र कहीं पर रहा हो, जबकि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से अभियुक्त की घटनास्थल पर उपस्थिति एवं घटना कारित करना सन्देह के परे सिद्ध है इसलिए मात्र बयान धारा 313 दं०प्र०सं० में बचाव लेने मात्र से अभियुक्त के कथन को नहीं माना जा सकता। समस्त अभियोजन साक्षियों की साक्ष्य के प्रकाश में यह सन्देह के परे साबित है कि अभियुक्त द्वारा ही जान से मारने की नीयत से एकदम से मन्दिर से निकल कर मृतक अमित राठौर पर अधिया तमंचा से फायरिंग कर उसकी मृत्यु कारित कर दी गयी एवं बीचबचाव करने पहुँचे अन्य लोगों में से डा० विशाल वर्मा को भी जान से मारने की नीयत से अधिया तमंचे से फायर कर सीने पर गम्भीर चोट पहुॅँचायी गयी है।

39– पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य, साक्ष्य के किये गये उपरोक्त विवेचक व विश्लेषण के आधार पर यह न्यायालय इस सुविचारित मत का है कि अभियोजन पक्ष युक्तियुक्त सन्देह के परे यह सिद्ध करने में सफल रहा है कि विचारित अभियुक्त ने ही जान से मारने की नीयत से मृतक अमित राठौर पर अधिया तमंचा से फायरिंग कर उसकी मृत्यु कारित कर दी गयी एवं बीचबचाव करने पहुँचे अन्य लोगों में से डा० विशाल वर्मा को भी जान से मारने की नीयत से तमंचे से फायर कर सीने पर गम्भीर चोट पहुॅँचायी। इसलिए अभियुक्त लगाये गये आरोप धारा 302, 307 भा०दं०सं० एवं धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट में दोषसिद्ध घोषित

होने योग्य हैं।

आदेश

अभियुक्त मनमोहन दास बाबा को धारा 302,307 भा०दं०सं० एवं धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट के अपराध में दोषसिद्ध किया जाता है। अभियुक्त आज न्यायालय के समक्ष जेरे जमानत उपस्थित है उसके बन्धपत्र व प्रतिभूपत्र निरस्त किये जाते हैं एवं जमानतियों को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है। उसको अभिरक्षा में लिया जाता है। सजा के बिन्दु पर भोजनावकाश उपरांत सुना जायेगा।

दिनांकः13.08.2026

(नीरज कुमार)
सत्र न्यायाधीश
फर्रूखाबाद। **ID No.U.P1907**

13.08.2026 लंच उपरांत

सिद्धदोष मनमोहन दास बाबा के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी को सजा के बिन्दु पर सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

सिद्धदोष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि सिद्धदोष धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है एवं मन्दिर में रहता है। वह पूर्व में काफी समय जेल में निरूद्ध रह चुका है, अतः उसको कम से कम दण्ड से दण्डित किया जाये जबकि विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा कहा गया कि सिद्धदोष द्वारा अमित राठौर की दिनदहाड़े गोली मार कर हत्या करने एवं एक अन्य व्यक्ति विशाल वर्मा को गोली मार कर घायल करने के अपराध में उसको दोषसिद्ध किया गया है अतः उसको प्राविधानित अधिकतम दण्ड से दण्डित किया जाये।

उभय पक्ष की दलीलें सुनने के उपरांत न्यायालय इस मत का है यह बिरले से बिरलतम श्रेणी का मामला नहीं है इसलिए सिद्धदोष को धारा 302 भा०दं०सं० के अपराध में आजीवन कारावास एवं एक लाख रूपया के अर्थदण्ड तथा धारा 307 भा०दं०सं० के अपराध में 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 20,000/-रूपया अर्थदण्ड एवं धारा 25 & 27 आर्म्स एक्ट के अपराध में तीन तीन वर्ष के सश्रम कारावास एवं दो दो हजार रूपया अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने से न्याय की मंशा पूरी हो जायेगी, तदनुसार दण्डादेश निर्गत किया जाता है।

<u>दण्डादेश</u>

सिद्धदोष मनमोहन दास बाबा को धारा 302 भा०दं०सं० के अपराध में आजीवन कारावास एवं एक लाख रूपया(1,00,000/-) अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न देने की एवज में दोषसिद्ध एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतेगा।

सिद्धदोष मनमोहन दास बाबा को धारा 307 भा०दं०सं० के अपराध में दस वर्ष का सश्रम कारावास एवं 20,000/-रूपया अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न देने की एवज में दोषसिद्ध छः माह का अतिरिक्त कारावास भुगतेगा।

धारा 25 आर्म्स एक्ट के अपराध में सिद्धदोष को तीन वर्ष का सश्रम कारावास एवं दो हजार रूपया अर्थदण्ड एवं धारा 27 आर्म्स एक्ट के अपराध में तीन वर्ष का सश्रम कारावास एवं दो हजार रूपया अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न देने की एवज में अभियुक्त क्रमशः दो दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतेगा। सभी सजायें साथ साथ चलेगीं एवं सिद्धदोष की इस केस में जेल में बितायी गयी अवधि सजा में समायोजित की जायेगी।

इस मामले में भौतिक प्रदर्शों को बाद बीतने मियाद अपील नियमानुसार विनष्ट किया जाये एवं अपील होने की दशा में अपीलीय न्यायालय के आदेशनुसार कार्यवाही

की जाये।

सिद्धदोष का सजायावी वारंट बनाकर कारागार प्रेषित किया जाये।

निर्णय की एक प्रति संबधित सत्र परीक्षण पर रखी जाये।

निर्णय की एक प्रति सिद्धदोष के विद्वान अधिवक्ता को निःशुल्क प्रदान की जाये।

दिनांकः13.08.2026 (नीरज कुमार)
सत्र न्यायाधीश
फर्रूखाबाद।(UP 1907)

आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांकः13.08.2026 (नीरज कुमार)
सत्र न्यायाधीश
फर्रूखाबाद।(UP 1907)